

The Gazette of India

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

680]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2008/पौष 9, 1930

680]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2008/PAUSA 9, 1930

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसुचना

मुम्बई, 22 अगस्त, 2008

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2008

सा.का.नि. 896(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ख) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, एतदहारा, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—
  - ्ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2008 कहलाएंगे।
  - (ii) ये विनियम इन विनियमों के तहत दिए गए पाद टिप्पणियों में अन्यथा विनिर्दिष्ट होने तक सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे।
- विनियमावली 2 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000 आरबी) में, विनियम 2 में (hereinafter.... मूल विनियमावली .....)
  - (क) परिभाषा सं. (ii) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और दिनांक 1 मई, 2007 से प्रतिस्थापित माना जाएगा । "(ii) "पूजी" से इक्विटी शेयर, अधिमान शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर अभिप्रेत है",
  - (ख) खंड (ii क) के बाद निम्नलिखित नया खंड सन्निविष्टित किया जाएगा और दिनांक 1 मई, 2007 से सन्निविष्टित माना जाएगा । "(iiख) "अधिमान शेयरों'' का तात्पर्य अनिवार्य और बाध्यकर रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर होगा"
  - (ग) इस प्रकार सिन्निविष्टित खंड (ii ख) के बाद निम्निलिखित नया खंड सिन्निविष्टित किया जाएगा और दिनांक 8 जून, 2007 से सन्निविष्टित माना जाएगा ।
    - "(iiग) "डिबेंचर'' का तात्पर्य अनिवार्य और बाध्यकर रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर होगा"

- 3. विनियमावली 5 में संशोधन मूल विनियमावली में वर्तमान विनियम 5 के उपविनियम 6 को निम्निलिखित से प्रतिस्थिपित किया जाएगा और दिनांक 31 दिसम्बर 2007 से प्रतिस्थापित माना जाएगा;
- "6. पंजीकृत संस्थागत निवेशक जिसे विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम 1973 और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अनुसार वैध मंजूरी है रिजर्व बैंक / सेबी द्वारा स्वीकृत सभी exchange traded derivative contract में आर बी आई / सेबी द्वारा नियत सीमा एवं मार्जिन अपेक्षा तथा रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर निदेशीत समपार्श्व प्रतिभूति ( collateral securities ) के लिये अनुबंधों के अधिन व्यापार कर सकता है।
- 4. विनियमावली 6आ में संशोधन मूल अवनियमावली में, वर्तमान विनियम 6आ को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"इन विनियमों के अनुसार अधिकार निर्गम शेयर अथवा बोनस शेयर जारी करनेवाली कंपनी मूल विनियमावली की अनुसूची। 1 के पैरा 9(1) (आ) में यथानिर्धारित फार्म एफसी-जीपीआर में रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करेगी।"

- 5. विनियम 10 में संशोधन मूल विनियमावली में, विनियम 10 में, उप-विनियम अ मेकं, खण्ड (ख) के बाद, स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित को सिन्नविष्टित किया जाएगा और दिनांक फरवरी 10, 2006 से सिन्नविष्टित माना जाएगा, अर्थात्
- "(ग) बिक्री के तौर पर, कोई प्रतिभूति अपने अनुमोदन हेतु रिजर्व बैंक को आवेदन करेगा यदि,
  - i) भारतीय कंपनी के कार्यकलाप, जिसकी प्रतिभूतियां अंतरित की जा रहीं हैं, स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत नहीं आती हैं और उपर्युक्त अंतरण के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया गया है;
  - ii) भारतीय कंपनी के कार्याकलाप, जिसकी प्रतिभूतियां अंतरित की जा रहीं हैं, वित्तीय सेवा क्षेत्र के तहत आती हैं;
  - iii) अंतरण सेबी (सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स) विनियमावली, 1997 के प्रावधानों के अंतर्गत हैं:
  - iv) अंतरण, समय-समय पर रिजव बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के मूल्य के तहत नहीं आता है।"
- अनुसूची 1 में संशोधन- मूल विनियमावली की अनुसूची 1 में,
  - i) पैरा 1 में,
  - (क) उप-पैरा (2)को निम्नलिखित से प्रस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
    - "(2) इस योजना के तहत शेयरों खरीदनेवाला व्यक्ति का सहयोगी होना प्रस्तावित है अथवा एक नई भारतीय कंपनी के संपूर्ण शेयरधारिता को अधिगृहीत करने का प्रस्ताव है, तो वह केंद्र

सरकार की पूर्वानुमित प्राप्त करे, यदि उसका, जनवरी 12, 2005 को, उसी क्षेत्र में, जिसमें भारतीय कंपनी है,वर्तमान में संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण / ट्रेडमार्क करार है।"

- (ख) उप पैरा (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, और यह संशोधन जनवरी 12, 2005<sup>1</sup> से लागू समझा जाएगा अर्थात्:
  - " बशर्त सेबी के पास पंजीकृत उद्यम पूंजी निधियों द्वारा किए जानेवाले निवेशों; बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा निवेशों; अथवा जहां दोनों पार्टियों द्वारा वर्तमान संयुक्त उद्यम में निवेश 3% से कम है; अथवा जहां वर्तमान संयुक्त उद्यम / सहयोग समाप्त अथवा रुग्ण है अथवा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अथवा खनन क्षेत्र में लगी किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के अंतरण के लिए केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी यदि उस व्यक्ति का, जिसे शेयर अंतरित किया जाना है, उसी क्षेत्र / खनिज के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र अथवा खनन क्षेत्र में वर्तमान संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण / ट्रेडमार्क करार है।"
- ii) पैर 2 में, उप पैरा (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा और यह दिनांक फरवरी 10, 2006 से प्रतिस्थापित माना जाएगा अर्थात्:
  - " (1) संलग्नक अ में उल्लिखित किसी कार्यकलाप / क्षेत्र में नहीं लगी हुई भारतीय कंपनी, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को संलग्नक आ में विनिर्दिष्ट प्रवेश मार्गों के अनुसार उसमें निर्धारित सीमा और समय-समय पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित विदेश निवेश नीतिके प्रावधानों के अधीन शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है।'
  - " बशर्ते शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर भारतीय कंपनी द्वारा किसी भारतीय कंपनी के वर्तमान शेयरों के अधिग्रहण की दृष्टि से जारी नहीं किए जा रहे हैं।

स्पष्टीकरण : कंपनी, जो इस अनुसूची के संलग्क आ में शामिल क्रियाकलाप अथवा मदों का निर्माण करने के लिए योजना विस्तार में लगने का प्रस्ताव करती हैं ,वे इस पैरा के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन संलग्नक आ में दर्शाई गई सीमा तक वित्तपोषण विस्तार योजना के प्रयोज

<sup>े</sup> यह संशोधन जनवरी 12, 2005 से लागू समझा जाता है, इस तारोख को भारत सरकार,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय . औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने अपना प्रेस नोट सं.1(2005 सिरीज़) जारी किया था।

ान हेतु उसके द्वारा जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित नई पूंजी में से शेयर अथवा डिबेंचर जारी कर सकती है।"<sup>2</sup>

- iii) पैरा 2 में, उप-पैरा (2) को हट दिया जाएगा !
- iv) पैरा 2 में जप-पैरा (3),(4) और (5) को क्रमश: जप-पैरा (2), (3)और (4) के रूप में पुन: संख्या दी जाएगी ।
- v) पैरा 3 का निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात
- "3 .सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा रखनेवाली कंपनी द्वारा शेयरों का निर्गम- इन विनियमों के अनुसार भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को शेयर जारी करने का इरादा रखनेवाली भारतीय कंपनी भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्वानुमोदन प्राप्त करे, यदि कंपनी (क) संलग्नक अ(अ) में दी गई किसी कार्यकलाप में लगी है अथवा लगने का प्रस्ताव है; अथवा (ख)संलग्नक आ में "प्रवेश मार्ग" स्तंभ में निर्धारित विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के तहत आती है; अथवा
- (ग) आवक प्रेषणों के अलावा अर्थात् भुगतान के लिए देय रॉयल्टी/एक मुश्त फीस से इतर प्रतिफलों की जमानत पर भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को शेयर जारी करने का प्रस्ताव ; अथवा (घ) परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त बाह्य वाणिज्यिक उधार (माने गए बाह्य वाणिज्यिक उधार को छोड़कर) की जमानत पर भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को 28 नवम्बर 2003 या उसके बाद शेयर जारी करना प्रस्तावित <sup>3</sup>

# vi) पैरा 4 में,

- i) जप पैरा (2) में, "संलग्नक इ में विनिर्दिष्ट फार्म " शब्दों के लिए "फार्म डी आर "शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- ii) उप पैरा (3) में," संलग्नक ई में विनिर्दिष्ट फार्म "शब्दों के लिए "फार्म डी आर-क्वार्टरली " को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> यह संशोधन फरवरी 10, 2006 से लागू समझा जाता है,इस तारीख को भारत सरकार,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने अपना प्रेस नोट सं.4(2006 सिरीज) जारी किया था।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> यह संशोधन भारत सरकार,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा 28 नवम्बर 2003 को जारी प्रेस नोट सं.4(2003) के अनुसार जुलाई 29, 2003 से लागू समझा जाता है।

vii) पैरा 4 आ के लिए निम्नलिखित नए पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

"4आ. भारतीय कंपनी,विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना,1993 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किए जानेवाले मूल्य पर और समयसमय पर भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धातों के तहत तथा रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्देशित रिपोर्टींग आवश्यकताओं के अनुसार अपने शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की जमानत पर किसी समुद्रपारीय निक्षेपागार के साथ एडीआर/जीडीआर के निर्गम को प्रायोजित कर सकता है।"

- viii) पैरा 5अ को हटा दिया जाएगा
- ix) पैरा 6 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
  "6.एडीआर/जीडीआर का निर्गम मूल्य: भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को जारी किए जानेवाले एडीआर/जीडीआर का मूल्य निर्धारण भारतीय कंपनी, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (निक्षेपागार रसीद व्यवस्था के माध्यम से) योजना, 1993 के प्रावधानों के अनुसार और समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धातों के तहत निर्धारित किया जाएगा।"
- (x) 6.(ii) पैरा 9 मे (i) उप-पैरा में -
  - (क) खंड (अ) शब्द 'रिपोर्ट' को 'इस अनुसूची के अनेक्स सी में निर्दिष्ट फार्म में रिपोर्ट ' शब्दोंसे प्रतिस्थापित किया जाएगा
  - (ख) खंड (आ) उपखंड (घ) शब्द और अंक "पैरा 9 के अनुसार " को शब्द और अंक "पैरा 8 के अनुसार" से प्रतिस्थापित किया जाएगा
  - (ii) खंड (आ) के बाद, अंत में निम्नलिखित नया खंड (इ) जोड दिया जाएगा. अर्थात :-
  - (इ) भारतीय कंपनी द्वारा advance against equity के रूप में प्रतिफल राशि की प्राप्ति 30 दिनों के अंदर रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके अधिकार क्षेत्र में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है, अनेक्स सी में विनिर्दिष्ट फार्म में रिपोर्ट की जाएगी ।
- (xi) वर्तमान विनियमों के संलग्नक अ और संलग्नक आ को इन विनियमों के क्रमश: "संलग्नक अ " और "संलग्नक आ " के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- (xii) वर्तमान विनियमों के संलग्नक इ और संलग्नक ई को क्रमश: " फार्म डीआर "और "फार्म डीआर-क्वार्टरली " के रूप में पुन: नाम दिया जाएगा।

- (xiii) वर्तमान विनियमों के संलग्नक ड. को हटा दिया जाएगा।
- (xiv) वर्तमान विनियमों में " फार्म एफसी-जीपीआर " को इन विनियमों के संलग्नक ई में निर्धारित फार्मेट द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

# 7. अनुसूची 4 में संशोधन- मूल विनियमावली में अनुसूची 4 में, पैरा 2 में ,परंतुकों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"बशर्ते खंड (i) के अनुसार जिस व्यक्ति को शेयर अंतिरत किए जा रहे हैं वह शेयर अधिग्रहण के लिए केंद्र सरकार की पूर्वानुमित प्राप्त करे,यदि उसका,जनवरी 12, 2005 को,उसी क्षेत्र में,जिसमें उस कंपनी का, जिसके

शेयर अथवा डिबेंचर उसके द्वारा अधिगृहीत किए जाने है,वर्तमान.में संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी तरण/ ट्रेडमार्क करार है। बशर्ते इसके अलावा केंद्र सरकार से निम्नलिखित के लिए किसी पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:

- (क) एशियन डेवलेप्पेंट बैंक, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, कॉमन वेल्थ विकास निगम, ड्यूइश न्टविक्लुंग्स् गेस्सेल्शाफ्ट (डीईजी) जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं कों शेयरों के अंतरण के लिए:
- (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अथवा खनन क्षेत्र में कार्यरत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों का अंतरण,यदि उस व्यक्ति का,जिसे शेयर अंतरित किए जाने हैं,सूचना प्रौद्योगिकी अथवा खनन क्षेत्र में भी वर्तमान संयुक्त ऊद्यम अथवा तकनीकी अंतरण / ट्रेडमार्क करार है ।
- (ग) सेबी के पास पंजीकृत उद्यम पूंजी निधियों द्वारा निवेश किया जाना है; बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं अथवा जहां वर्तमान संयुक्त उद्यम निवेश दोनों पार्टियों द्वारा 3% से कम है या जहां वर्तमान संयुक्त उद्यम / सहयोग समाप्त अथवा रुग्ण है द्वारा निवेश।"

# 8. अनुसूची 5 में संशोधन - मूल विनियमावली में, अनुसूची 5 में,

(i)वर्तमान पैरा 1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

# " 1. प्रतिभूति खरीदने के लिए विदेशी संस्थागत निवेशकों को अनुमति-

पंजीकृत संस्थागत निवेशक समय-समय पर रिजर्व बैंक तथा सेबी द्वारा निर्देशित परिसीमा के अधीन प्रत्यावर्तन आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूति /खजाना बिल, किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांड, वाणिज्यिक पत्र और घरेलू म्यूचुअल फंड के यूनिट और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति पावती, और भारत में बैंकों द्वारा अपनी पूंजी को बढाने के लिये जारी टीयर । पूंजी के रूप शामिल होने के लिए पात्र बेमीयादी

ऋण लिखतों औरउच्च टीयर ॥ पूंजी के रूप में ऋण पूंजी लिखतों की खरीद आरबीआई, सेबी द्वारा समय-समय पर नियत सिमाओं के अधिन, ऐसे प्रतिभूतियों के जारीकर्ता से सीधे अथवा भारत में पंजीकृत स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से कर सकता है:बशर्त;

- i) विदेशी संस्थागत निवेशक 70:30 के अनुपात में इक्विटी और ऋण लिखतों (भारतीय पूंजी बाजार में दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों सहित) के बीच इसके कुल निवेश के आबंटन को सीमित करेगा,
- ii) यदि विदेशी संस्थागत निवेशक खजाना बिलों,भारतीय कंपनी द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचर/बांडों सहित दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में 100 प्रतिशत तक निवेश करना चाहता है तो, यह 100% ऋण निधि तैयार करेगा और ऐसी निधि को सेबी के पास पंजीकृत करेगा।
- iii) प्रतिभूति पावती की याजना की प्रत्येक श्रृंखला में किसी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक की धारिता निर्गम के 10% से अधिक नहीं होगी और सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों को मिलाकर उनकी कुल धारिता परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति पावती योजना की प्रत्येक श्रृंखला के चुकता मूल्य के 49% से अधिक नहीं होगी। और
- iv) सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बेमीयादी ऋण लिखतों (टीयर I) में निवेश प्रत्येक निर्गम के 49% से अधिक नहीं होगा और एकल विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 10% से अधिक नहीं होगा । विदेशी संस्थागत निवेशकों का ऋण पूंजी लिखतों (टीयर II ) में निवेश सेबी द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों के निगमित ऋण में निवेश के लिये नियत परिसीमा के अंदर होगा 1

बशर्ते इसके अलावा कि विदेशी संस्थागत निवेशक उप-विनियम 6 में यथाविनिर्दिष्ट एक्सचेंज द्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदा व्यापार में अपने लेनदेनों के लिए भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को कोलेटेरल के रूप मेंसमय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा यथानुमत ऐसी प्रतिभूतियां जारी कर सकते हैं।"

- (ii) 1(अ) अनिवासी भारतीय, परिसीमा से बिना प्रत्यावर्तन आधारपर खरीद सकता है ।
  - i) दिनांकीत सरकारी प्रतिभूति (धारक प्रतिभूतियोंके अलावा) या खजाना बिल या घरेलू म्यूचुअल फंड के यूनिट
  - ii) भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी किये गए बांड
  - iii) भारत सरकार द्वारा विनिवेशीत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयर बशर्ते की खरीद, बोली आमंत्रीत करने की नोटीस में निर्धारीत नियमों और शर्तों के अनुसार है

1(आ) अनिवासी भारतीय, रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशोंके अनुसार भारत में बैंको द्वारा अपनी पूंजी बढाने के लिये जारी टीयर। पूंजी के रुप शामिल होने के लिये पात्र बेमीयादी ऋण लिखतों और उच्च टीयर ॥ पूंजी के रुप में ऋण पूंजी लिखतों की खरीद प्रत्यावर्तन आधारपर कर सकता है ।

सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा बेमीयादी ऋण लिखतो (टीयर I) में निवेश, प्रत्येक निर्गम के 24% से अधिक नहीं होगा और एकल अनिवासी भारतीय द्वारा निवेश, प्रत्येक निर्गम के 5% से अधिक नहीं होगा । अनिवासी भारतीयों द्वारा ऋण पूंजी लिखतों (टियर II) में निवेश, उनके ऋण लिखतों में निवेश के लिये मौजुदा नीति के अनुसार होगा ।

[सं. फेमा 179/2008-आरबी] सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक 8 मई, 2000 के सं.सा.का.नि. 406(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किया गया है :

दिनांक 02-03-2001 का सं. सा.का.नि. 158(अ)

दिनांक 13-03-2001 का सं. सा.का.नि. 175(अ)

दिनांक 14-03-2001 का सं. सा.का.नि. 182(अ)

दिनांक 02-01-2002 का सं. सा.का.नि. 4(अ)

दिनांक 19-8-2002 का सं. सा.का.नि. 574(अ)

दिनांक 18-3-2003 का सं. सा.का.नि. 223(अ)

दिनांक 18-3-2003 का सं. सा.का.नि. 225(अ)

दिनांक 22-7-2003 का सं. सा.का.नि. 558(अ)

दिनांक 23-1-2003 का सं. सा.का.नि. 835(अ)

दिनांक 22-11-2003 का सं. सा.का.नि. 899(अ)

दिनांक 07-01-2004 का सं. सा.का.नि. 12(अ)

दिनांक 23-04-2004 का सं. सा.का.नि. 278(अ)

दिनांक 16-07-2004 का सं. सा.का.नि. 454(अ)

दिनांक 21-09-2004 का सं. सा.का.नि. 625(अ)

दिनांक 08-12-2004 का सं. सा.का.नि. 799( अ)

दिनांक 01-04-2005 का सं. सा.का.नि. 201(अ)

दिनांक 01-04-2005 का सं. सा.का.नि. 202(अ)

दिनांक 25-07-2005 का सं. सा.का.नि. 504(अ)

. दिनांक 25-07-2005 का सं. सा.का.नि. 505(अ)

दिनांक 29-07-2005 का सं. सा.का.नि. 513(अ)

दिनांक 22-12-2005 का सं. सा.का.नि. 738(अ)

दिनांक 19-01-2006 का सं. सा.का.नि. 29(अ)

दिनांक 11-07-2006 का सं. सा.का.नि. 413(अ)

दिनांक 14-11-2007 का सं. सा.का.नि. 712(अ)

दिनांक 14-11-2007 का सं. सा.का.नि. 713(अ)

दिनांक 29-11-2007 का सं. सा.का.नि. 737(अ)

दिनांक 05-08-2008 का सं. सा.का.नि. 575(अ)

## अनुबंध अ

# (अनुसूची 1 का पैराग्राफ 2 देखें)

- (अ) निम्नितिखित परिस्थितियों में सभी कार्यकलापों/क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी ।
  - ा. जहाँ भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट 1( 2005 श्रंखला) के प्रावधान आरोप्यणीय हों ।
  - ॥. जहाँ 24% से अधिक की विदेशी ईक्विटी, लघु उद्योग इकाई क्षेत्र में आरक्षित मदों के विनिमार्ण के लिए प्रस्तावित हो।

#### विदेशी निवेश के लिए निषिध्द क्षेत्र (आ) I. खुदरा व्यापार 11. परमाण् ऊर्जा W. लॉटरी कारोबार IV. जुआ और सट्टेबाजी ٧. चिट फंड कारोबार VI. निधि कंपनी, अथवा अंतरणीय विकास अधिकारों (टीडीआर) के व्यापार में VII. VIII. कार्यकलापों / क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश की अनुमति नहीं हैं

# अनुबंध आ

# (अनुसूची 1 का पैराग्राफ 2 देखें)

# विदेशी निवेश के लिए विशिष्ट-क्षेत्र नीति

विदेशी निवेश के लिए निम्निलिखत विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों में अन्य यथानिर्दिष्ट शर्तों के अधीन नीचे उल्लिखत सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमित है। निम्निलिखत विशिष्ट क्षेत्रों/कार्यकलापों में जिनका उल्लेख नहीं है, उन्हें स्वतःअनुमोदित मार्ग से नीचे उल्लिखत लागू क्षेत्रीय सेक्टोरल नियमों/विनियमों शर्तों के अधीन 100% सीमा तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमित है।

| क्रमांक | क्षेत्र/कार्यकलाप  | एफडीआई कैप/<br>इक्विटी | प्रवेश माग             | अन्य शर्ते |
|---------|--|------------------------|------------------------|------------|
|         | कृषि   |                        |                        | 1          |
| 1.      | पुष्प-कृषि, बागवानी,बीज<br>विकास, पशुपालन ,<br>मत्स्यपालन, जलीय जंतु | -100%                  | स्वतःअनुमोदित<br>मार्ग |            |

| <u>10</u>   |   | IE GAZETTE OF INDIA: | EXTRAORDINARY               | [Part II—Sec. 3(i)]              |
|-------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <del></del> | पालन , नियंत्रित परिरिथतियों                  |                      |                             |                                  |
| l           | में सब्जियों और मशरूम                         |                      | ,                           |                                  |
|             | उगाना तथा कृषि और उससे                        |                      |                             |                                  |
|             | सम्बद्ध सेवाएं                                |                      |                             |                                  |
|             | पाद <u>टिप्पणी:</u> उपर्युक्त को              |                      |                             | ·                                |
| ļ           | छोड़कर अन्य कृषि क्षेत्र/                     |                      |                             |                                  |
|             | कार्यकलाप के लिए विदेशी                       |                      |                             |                                  |
|             | प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति नहीं                | _                    |                             |                                  |
|             | है।   |                      |                             |                                  |
| 2           | बागानी समेत चाय क्षेत्र                       | 100%                 | एफआईपीबी                    | भारतीय साझेदार/ जनता के पक्ष     |
| 1           | पाद टिप्पणी: उपर्युक्त को                     |                      |                             | में पांच वर्ष के भीतर इक्विटी का |
|             | छोड़कर बागानी के अन्य                         | •                    |                             | 26 % विनिवेश और भविष्य में       |
| }           | क्षेत्र/ कार्यकलाप के लिए                     |                      | -                           | जमीन के उपथोग हेतु संबंधित       |
|             | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की                     | •                    |                             | राज्य की अनुम्ति के अधीन         |
|             | अनुमति नहीं है।                               |                      |                             |                                  |
|             | उद्योग  |                      | <u> </u>                    |                                  |
|             | <del></del>                                   |                      |                             |                                  |
|             | खनन<br>खनन इसके अंतर्गत हीरे                  | 100%                 | स्वतःअनुमोदित               | खान और खनिज( विकास और            |
| 3.          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         | 10076                | मार्ग                       | विनियमन)अधिनियम 1957 के          |
|             | जवाहरात और बेशकीमती                           |                      | ्या ग                       | अधीन जहाँ तक खनन क्षेत्र का      |
|             | पत्थर, सोना , चांदी और                        |                      |                             | संबंध है वहाँ 100 प्रतिशत        |
|             | खनिजों की खोज और खनन                          |                      |                             | कंपनियां स्थापित करने के लिए     |
|             | आता है ।                                      |                      |                             | नोट 18 (1998 ) तथा प्रेस नोट     |
|             |   | ,                    |                             | 1(2005)लागू नहीं होगी बशर्ते     |
|             |   |                      |                             | कि आवेदक से इस आशय का            |
|             |   |                      |                             | घोषणापत्र प्राप्त हो कि उनके     |
| •           |   |                      |                             | पास उसी क्षेत्र और/ अथवा         |
|             |   |                      |                             | विशिष्ट खनिज के लिए वर्तमान      |
| 1           |   | ÷                    |                             | में संयुक्त उद्यम नहीं है।       |
|             |   |                      |                             | (www.mines.nic.in)               |
|             | 34  | 100%                 | स्वतःअनुमोदित               | कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण)         |
| 4.          | कोयला और लिग्नाइट<br>कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) | 7                    | ्रस्यतः अनुनादतः<br>। मार्ग | अधिनियम,1973 के अधीन             |
|             | अधिनियम, 1973 के अधीन                         | 1                    | TIVE                        | (www.coal.nic.in)                |
| i           | भारतीय निजी कंपनियां जो                       |                      |                             | (www.coar.nec.m)                 |
|             | सीमित उपभोग के लिए पॉवर                       |                      |                             |                                  |
| 1           | परियोजनाएं और कोयले                           |                      |                             |                                  |
|             | _ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |                      |                             |                                  |
|             | अथवा लिग्नाइट की<br>परियोजनाएं लगा रही हैं    |                      |                             |                                  |
|             | अथवा उनका कार्य-संचालन                        | -                    |                             | Ì                                |
|             |   |                      |                             |                                  |
| <br>        | कर रही हैं ।                                  | 100 प्रतिशत          | एफआईपीबी                    | क्षेत्रीय विनियम और खनन तथा      |
| 5.          | खनन और खनिज                                   | אומאומ               | दमजाइनावा                   | खनिज (विकास और                   |
| 1           | खनिज और अयस्क लगे<br>टिटैनिंयम को और उसे      |                      |                             | विनियमन)अधिनियम,1957 तथा         |
| 1           |   |                      |                             |                                  |

| ·   |  |                                       |                                       | 1 2 2 2  |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
|     | उत्कृष्ट बनाने तथा एकीकरण<br>संबंधी कार्यकलाप<br>भारत सरकार , परमाणु ऊर्जा<br>विभाग द्वारा 18 जनवरी 2006<br>को जारी अधिसूचना सं.<br>एस.ओ.61(ई) में सूचीबद्ध<br>पदार्थों के खनन के लिए<br>विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की<br>अनुमति नहीं है । |                                       |                                       | निम्नलिखित शर्तों के अधीन (i)तकनीकी अंतरण के साथ उत्कृष्टता संबंधी सुविधाएं भारत के भीतर लगायी गयी हैं । (ii) खनिजों की सफायी के दौरान निकलने वाले कूड़े- करकट का निपटान परमाणु ऊर्जा नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित विनियम जैसे कि परमाणु ऊर्जा ( विकिरण संरक्षण) नियमावली 2004, परमाणु ऊर्जा(रेडियो धर्मिता कूड़े का सुरक्षित निपटान ) नियमावली 1987के अनुरूप किया जायेगा । |
|     |  | •                                     |                                       |  |
|     | विनिर्माण  |                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| 6.  | एल्कोहल और डिस्टीलेशन  | 100%                                  | स्वतःअनुमोदित                         | उपयुक्त प्राधिकरण से लाइसेस  |
|     | तथा मद्यनिर्माण  |                                       | मार्ग                                 | प्राप्त करके   |
| 7.  | सिगार्स और सिगरेट-निर्माण  | 100%                                  | एफआईपीबी                              | उद्योग( विकास और विनियमन)  |
|     |  | ·                                     | ,                                     | अधिनियम , 1951 के अधीन   |
|     |  |                                       |                                       | औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके   |
| L   |  |                                       |                                       | <b>,</b> , , ,   |
| 8.  | कॉफी और रबड़ प्रसंस्करण  | 100%                                  | स्वतःअनुमोदित                         |  |
|     | तथा भंडारण   |                                       | मार्ग                                 |  |
| 9.  | प्रतिरक्षा उत्पादन   | 26%                                   | एफआईपीबी                              | उद्योग( विकास और विनियमन)<br>अधिनियम , 1951 और आर्म्स एंड<br>एम्युनिशंस उत्पादन के लिए<br>दिशा-निर्देशों के अधीन औद्योगिक<br>लाइसेसंस प्राप्त करके   |
| 10. | खतरनाक रसायन जैसे कि   | 100%                                  | स्वतःअनुमोदित                         | उद्योग( विकास और विनियमन)  |
|     | हाइड्रोसाइनिक एसिड और  |                                       | मार्ग                                 | अधिनियम , 1951 और अन्य   |
|     | इसके व्युत्पन्न , फारजीन और  | ,                                     |                                       | क्षेत्रीय विनियमों के अधीन   |
|     | उसके व्युत्पन्न ,  |                                       |                                       | औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके   |
|     | आइसोसाइनेट और  |                                       |                                       |  |
|     | हाइड्रोकार्बन के डाई-  |                                       |                                       |  |
|     | आइसोसानेट  |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |
| 11. | औद्योगिक विष्फोटक -  | 100%                                  | स्वतःअनुमोदित                         | उद्योग( विकास और विनियमन)  |
|     | निर्माण  | _                                     | मार्ग                                 | अधिनियम , 1951 और विष्फोटक   |
|     |  |                                       |                                       | अधिनियम , 1898 के अधीन   |
|     |  |                                       |                                       | निर्मित विनियमों के अधीन   |
|     | पॉवर   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ,                                     | औद्योगिक लाइसेसंस प्राप्त करके   |
|     | 7197   | <del></del>                           |                                       |  |

| 12    |                               | HE GAZETTE OF INDIA    |                        |   |
|-------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---|
| 12    | पॉवर में विद्युत उत्पादन (    | 100%                   | स्वतःअनुमोदित<br>मार्ग | विद्युत अधिनियम , 2003 के<br>प्रावधानों के अधीन |
|       | परमाणु ऊर्जा को छोड़कर ),     |                        | 41.1                   |   |
|       | प्रसारण, वितरण और विद्युत     |                        | <del>-</del>           | (www.powermin.nic.in)                           |
|       | व्यापार शामिल हैं ।           | <u> </u>               |                        |   |
|       | सेवाएं                        |                        |                        | <u> </u>  |
| -     | नागरिक विमानन क्षेत्र         |                        |                        |   |
| 13.   | हवाई अङ्डे                    | <del></del>            |                        |   |
| (क)   | ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट          | 100%                   | स्वतःअनुमोदित          | नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा                   |
| \ ·-/ |                               |                        | मार्ग                  | अधिसूचित क्षेत्रीय विनियमों के                  |
|       |                               |                        |                        | अधीन  |
|       |                               |                        |                        | (www.civilaviation.nic.in)                      |
| (72)  | 3-1m-1m-13-4                  | 100%                   | 74% से अधिक            |   |
| (ख)   | वर्तमान प्रोजेक्ट             | 100 /6                 | के लिए                 | 1   |
|       |                               | *                      | ' ' ' '                | 1   |
|       |                               |                        | एफआईपीबी               | अधीन  |
|       |                               |                        |                        | (www.civilaviation.nic.in)                      |
| 14.   | वायु परिवहन सेवाओं में स्वदेश | । अनुसूचित यात्री एयरल | ाइस, गर-अनुसूचि        | त स्वदशा यात्रा एयरलाइस,                        |
|       | चार्टर्ड एयरलाइंस, कारगो एय   | रलाइस, तथा सीप्लेन स   | विसेज                  | ·   |
| (क)   | अनुसूचित वायु परिवहन          | अनिवासी भारतीयों के    | स्वतः अनुमोदित         | विदेशी एयरलाइंस और क्षेत्रीय                    |
|       | सेवाएं / स्वदेशी अनुसूचित     | <b>ਕਿ</b> ए 100%       |                        | विनियमों के द्वारा किसी भी प्रकार               |
|       | यात्री एयरलाइस                | अन्य के लिए 49%        |                        | के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ईक्विटी            |
|       |                               | ,                      |                        | सहभागिता की अनुमति नहीं है।                     |
| 1     |                               |                        |                        | 3   |
| (ख)   | गैर-अनुसूचित वायु परिवहन      | अनिवासी भारतीयों के    | स्वतः अनुमोदित         | विदेशी एयरलाइंस की गैर-                         |
| (4)   | सेवाएं / गैर-अनुसूचित         | लिए 100%               | (AC) OLIMINA           | अनुसूचित वायु परिवहन सेवाओं                     |
|       |                               | अन्य के लिए 74%        |                        | और चार्टर्ड एयरलाइंस द्वारा किसी                |
|       | एयरलाइंस, चार्टर्ड            | । अन्य कालए /4%        |                        | भी प्रकार के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष          |
|       | एयरलाइंस और कारगो             |                        |                        |   |
|       | एयरलाइस,                      |                        |                        | ईक्विटी सहभागिता की अनुमति                      |
|       | ·                             | •                      |                        | नहीं है।कारगो एयरलाइस                           |
|       |                               |                        |                        | संचालित करने वाली विदेशी                        |
|       | <u> </u>                      |                        |                        | एयरलाइंस को इक्विटी कंपनियों में                |
|       | ļ                             |                        |                        | सहभागिता की अनुमति है । क्षेत्रीय               |
|       | ·                             | <u>'</u>               |                        | विनियम भी लागू हैं।                             |
|       |                               |                        | !                      | C   |
| (ग)   | डीजीसीए की का अनुमोदन         | 100%                   | स्वतः अनुमोदित         | हेलीकॉप्टर सर्विसेज / सीप्लेन                   |
| (**)  | अपेक्षित हेलीकॉप्टर सर्विसेज  | 10070                  | 1 .40. 013.11140       | सर्विसेज संचालित करने वाली                      |
|       | F .                           |                        |                        | विदेशी एयरलाइंस को इक्विटी                      |
|       | । सीप्लेन सर्विसेज            |                        |                        |   |
|       |                               |                        | ,                      | कंपनियों में सहभागिता की अनुमति                 |
| }     |                               |                        |                        | है । क्षेत्रीय विनियम भी लागू हैं ।             |
|       | ·                             | <u> </u>               |                        |   |
| 15.   | नागरिक विमानन क्षेत्र की अन्य | र्ग सेवाएं             |                        |   |
| (क)   | ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज     | अनिवासी भारतीयों के    | स्वतः अनुमोदित         | क्षेत्रीय विनियमी और सुरक्षा                    |
|       | •                             | लिए 100%               | '                      | निकासी के अधीन हैं।                             |
|       |                               | अन्य के लिए 74%        |                        |   |
| L     | <u> </u>                      |                        | <u> </u>               |   |

| [/==\    | रखरखाव और मरम्मत              | 100%                    | उन्न भागीनिन  |                                   |
|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|
| (ख)      |                               | 100%                    | रवतः अनुमोदित | ·                                 |
| 1 .      | संगठन : संस्थागत उडुयन        |                         |               |                                   |
|          | प्रशिक्षण संस्थाएं और         |                         |               |                                   |
| <u></u>  | तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं     | · · ·                   |               |                                   |
| 16.      | परिसंपत्ति पुर्नसंरचना        | 49%(केवल विदेशी         | एफआईपीबी      | जहाँ किसी व्यक्ति के निवेश        |
| -        | कंपनियां 💮                    | प्रत्यक्ष निवेशको के    |               | इक्विटी के 10% से बढ़ जाता है     |
|          |                               | लिए )                   |               | तो वित्तीय परिसंपत्तियों का       |
|          |                               | -                       |               | प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति ब्याज   |
|          |                               |                         | ·             | अधिनियम 2002 प्रवर्तन की धारा     |
| ``       |                               |                         | İ             | 3(3) के प्रावधानों का अनुपालन     |
|          |                               |                         |               | किया जाये ।                       |
| 17.      | बैंकिंग- निजी क्षेत्र         | 74%                     | रवतः अनुमोदित | भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी बैंकों  |
|          |                               | (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश |               | की शाखाएं/ उनकी सहायक             |
| i        | . •                           | +विदेशी संस्थागत        |               | संस्थाएं खोलने के जारी दिशा-      |
|          |                               | निवेश ) इस सीमा के      |               | निर्देशों के अधीन                 |
| ļ        |                               | अंदर संस्थागत           | .*            | (www.rbi.org.in)                  |
|          |                               | निवेशकों के निवेश       | ·             | (www.for.org.fif)                 |
|          |                               | 49%                     | •             |                                   |
|          |                               | +> 10<br>  से अधिक नहीं |               |                                   |
| 18.      | प्रसारण                       | सं आवक गर्हा ।          |               |                                   |
| <u> </u> | <u> </u>                      |                         | 700           |                                   |
| (क)      | एफएम रेडियो                   | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश  | एफआईपीबी      | सूचना और प्रसारण मंत्रालय         |
|          |                               | +विदेशी संस्थागत        |               | द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के |
|          |                               | निवेश - 20% तक          |               | अधीन (www.mib.nic.in)             |
| <u> </u> |                               | निवेश                   |               |                                   |
| (ख)      | केबल नेटवर्क                  | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश  | एफआईपीबी      | सूचना और प्रसारण मंत्रालय         |
|          |                               | +विदेशी संस्थागत -      | ·             | द्वारा अधिसूचित केबल टेलिविजन     |
|          |                               | 49%                     |               | नेटवर्क नियमावली (1994) के        |
|          |                               |                         |               | अधीन (www.mib.nic.in)             |
| (ग)      | डाइरेक्ट -टु -होम             | 49% - (विदेशी प्रत्यक्ष | एफआईपीबी      | सूचना और प्रसारण मंत्रालय         |
|          |                               | निवेश +विदेशी           |               | द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के |
|          |                               | संस्थागत निवेश ) इस     |               | अनुसार (www.mib.nic.in)           |
|          |                               | सीमा के अंदर            |               |                                   |
|          |                               | संस्थागत निवेशकों के    |               |                                   |
|          |                               | निवेश का हिस्सा 20%     |               |                                   |
| -        |                               | से अधिक नहीं 📗          |               |                                   |
| (ঘ)      | धातु सामग्री सुविधाएं जैसे कि | 49% - विदेशी प्रत्यक्ष  | एफआईपीबी      | सूचना और प्रसारण मंत्रालय         |
|          | अप-लिकिंग, हब आदि             | निवेश +विदेशी           |               | द्वारा अधिसूचित अप-लिकिंग         |
|          | रथापित करना ।                 | संस्थागत निवेश।         | ·             | पॉलिसी के अनुसार                  |
| \$       | •                             |                         |               | (www.mib.nic.in)                  |
| (ভ)      | समाचार और सामयिक विषयों       | 26% - विदेशी प्रत्यक्ष  | एफआईपीबी      | सूचना और प्रसारण मंत्रालय         |
|          | ,टीवी. चैनेल्स की अप-         | निवेश +विदेशी           |               | द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के     |
|          | लिकिंग                        | संस्थागत निवेश।         |               | अनुसार (www.mib.nic.in)           |
|          |                               |                         |               | S. J. (WWW.IIIO.IIIC.III)         |

| 14  |                                | THE GAZETTE OF INDIA    |                | 1 [1 AK 11 Sec. 5(1)]            |
|-----|--------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| (च) | गैर समाचार और सामयिक           | 100%                    | एफआईपीबी       | सूचना और प्रसारण मंत्रालय        |
|     | विषयों ,टीवी. चैनेल्स की अप-   |                         |                | द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के    |
|     | लिकिंग                         |                         | 50.0           | अनुसार (www.mib.nic.in)          |
| 19. | पण्य विनिमय                    | 49%                     | एफआईपीबी       | विदेशी संस्थागत निवेशकों की      |
|     |                                | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश- |                | खरीदें सेकेंडरी मार्केट तक ही    |
| · . |                                | 26%                     |                | सीमित रहेंगी ।                   |
|     |                                | विदेशी संस्थागत         |                |                                  |
|     |                                | निवेश-23%               |                | संबंधित विनियामकों के द्वारा     |
|     |                                |                         |                | विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत  |
| 20  | विनिर्माण विकास                | 100%                    | स्वतः अनुमोदित | निम्नलिखित को शामिल करते हुए     |
|     | परियोजनाएं- इसमें              |                         |                | प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) द्वारा   |
|     | आवास,व्यावसायिक                |                         |                | अधिसूचित शर्तों के अधीन          |
|     | परिसर,रिसार्ट, शैक्षिक         |                         |                | (i)पूर्ण स्वाधिकृत सहायक         |
|     | संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं     | 1 *                     | i:             | संस्थाओं के मामले में 10 मिलियन  |
|     | तथा शहर और क्षेत्रीय           |                         |                | अमरीकी डॉलर और भारतीय            |
|     | बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।   |                         |                | साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यमों |
|     |                                |                         |                | के मामले में 5 मिलियन अमरीकी     |
|     | पाद टिप्पणी : स्थावर संपदा     |                         |                | डॉलर का न्यूनतम पूंजीकरण ।       |
|     | के क्षेत्र में विदेशी संस्थागत |                         |                | (ii) सर्विस्ड होउसिंग प्लाट के   |
|     | निवेश की अनुमति नहीं है ।      |                         |                | विकास के मामले में - 10 हेक्टेयर |
|     |                                |                         |                | ; और विनिर्माण - विकास           |
|     | 2 + W                          |                         |                | परियोजना के मामले में - 50,000   |
|     |                                |                         |                | वर्ग मीटर                        |
|     |                                |                         | ·              |                                  |
|     |                                |                         |                | [टिप्पणी 1: अनिवासी भारतीय       |
|     |                                |                         |                | निवेशकों के लिए प्रेस नोट        |
|     |                                |                         |                | 2(2005 सिरीज) मे उल्लिखित        |
|     |                                |                         |                | शर्ते लागू नहीं हैं।             |
|     |                                |                         |                | टिप्पणी 2: विशेष आर्थिक क्षेत्र  |
|     |                                |                         |                | होटेल और अस्पताल में निवेश के    |
|     |                                |                         |                | लिए प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे   |
| 1   |                                |                         |                | उल्लिखित शर्ते लागू नहीं हैं।]   |
|     |                                |                         |                | अल्लाव्या यात सानु नहीं है। ]    |
|     | 4                              | 1009/                   | एफआईपीबी       | वर्तमान कानून और पत्रों के       |
| 21  | पैकेज, पार्सेल्स और अन्य       | 100%                    | देक्ष्याइतावा  | वितरण संबंधी उन कार्य कलापों     |
|     | वस्तुएं जो कि भारतीय           |                         |                | को छोड़कर जो कि विशेष रूप से     |
|     | डाकघर अधिनियम 1898 के          |                         |                | •                                |
|     | दायरे में नहीं आती है के लिए   |                         |                | राज्य सरकार के लिए सुरक्षित हैं  |
|     | कुरियर सेवाए                   |                         |                | I( www.indiapost.gov.in)         |

| 22. | ਪਰਿਸ਼ਰਿ ਕਰਦਾ ਦੇ ਉਹਾਂ          | 400/                     | THE STATE OF THE S |                                     |
|-----|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|
| 22. | प्रतिभूति बाजार में वित्तीय   | 49%                      | एफआईपीबी   | विदेशी संस्थागत निवेशकों की         |
|     | बुनियादी ढाँचा स्टॉक          | विदेशीं प्रत्यक्ष निवेश- | 2  | खरीदें सेकेंडरी कार्केट तक ही       |
|     | एक्स्चेंज, निुक्षेपागार और    | 26%                      |  | सीमित रहेंगी ।                      |
|     | समाशोधन निगम                  |                          |  |                                     |
|     |                               | विदेशी संस्थागत          |  | संबंधित विनियामकों के द्वारा        |
|     |                               | निवेश-23%                |  | विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत     |
| 23. | क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियां   | 49%                      | एफआईपीबी   | क्रेडिट इन्फॉरमेशन कंपनियों में     |
|     |                               | (विदेशी प्रत्यक्ष        |  | विदेशी संस्थागत निवेश क्रेडिट       |
| 1 . |                               | निवेश+विदेशी             |  | इन्फॉरमेशन कंपनीज                   |
|     |                               | संस्थागत निवेश) इस       |  | (विनियमावली) ऐक्ट 2005 के           |
|     |                               | सीमा के अंदर             |  | अधीन                                |
|     |                               | संस्थागत निवेशकों        |  | •                                   |
|     |                               | का निवेश 24%             |  | संबंधित विनियामकों के द्वारा        |
|     |                               | से अधिक न हो ।           |  | विनिर्दिष्ट विनियमों के अंतर्गत।    |
| 24. | औद्योगिक पार्क बनाने तथा      | 100%                     | स्वतः अनुमोदित   | विनिर्माण विकास परियोजनाओं          |
|     | बने पार्क दोनों के लिए        | ·                        |  | पर प्रेस नोट 2(2005 सिरीज) मे       |
| •   |                               |                          |  | उल्लिखित लागू शर्ते औद्योगिक        |
|     |                               |                          |  | पार्कों पर लागू नहीं होगी बशर्ते    |
|     | i i                           | ,                        | ,  | औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्ते     |
| -   |                               |                          |  | पूरी करते हों ।                     |
|     |                               |                          |  | <b>~</b>                            |
|     |                               |                          |  | i यह कम से कम 10 यूनिट का           |
|     |                               |                          |  | और एक एकल यूनिट आबंटनीय             |
|     |                               |                          |  | क्षेत्रफल से 50%में फैला हो।        |
|     |                               |                          |  |                                     |
|     |                               |                          |  | ii औद्योगिक कार्यकलापों के लिए      |
|     | ·                             |                          |  | आबंटित किया जाने वाला क्षेत्र       |
|     |                               |                          |  | कुल आबंटित क्षेत्रफल का कम से       |
|     |                               |                          | ·  | कम 66%हो ।                          |
| 25. | बीमा                          | 26%                      | स्वतः अनुमोदित   | बीमा विनियामक और विकास              |
|     |                               |                          |  | प्राधिकरण (आइआरडीए) से              |
|     |                               | · ,                      |  | लाइसेंस के अधीन                     |
|     |                               |                          |  | (www.irda.nic.in.)                  |
| 26. | बुनियादी /र्सवा क्षेत्र ( दूर | 100%                     | एफआईपीबी   | जहाँ पर .विदेशी निवेश की            |
|     | संचार क्षेत्र को छोड़कर ) में |                          |  | सेक्टोरल लिमिट निर्धारित है ,       |
|     | निवेश                         | ·                        |  | निर्धारित कैप के लिए केवल           |
|     |                               |                          | •  | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विचार     |
| j   |                               | •                        |  | कि। जा सकता है और विदेशी            |
|     | ,                             |                          |  | निवेश करने वाली किसी कंपनी में      |
|     |                               |                          |  | विदेशीं निवेश इस कैप से अलग         |
| • • |                               |                          |  | नहीं की जा सकती है बशर्ते कि        |
|     | <u> </u>                      |                          |  | ाटा पर्रा पार सम्मा ह प्रस्ता १पर्र |

| ां) अंश्रेटरस्थाउँ निवेश के लिए अमरीकी डॉलर जाए। यदि प्रत्यक्ष निवेश और 75 प्रतीय परामर्श सेवा धिक और 75 प्रती 5 मिलियन अपफ्रंट लाया जार यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 76 प्रती 5 मिलियन अपफ्रंट लाया जार यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 100 तो 50 मिलियन जिसमें 7.5 मिलियन  | प्रत्यक्ष निवेश<br>हो और निवेश<br>कंपनी का प्रबंध<br>के पास हो ।<br>एनबीएफसी के<br>करण मानदंड<br>तत तक प्रत्यक्ष<br>0.5 मिलियन<br>अपफ्रंट लाया<br>1 51 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो,<br>अमरीकी डॉलर<br>ए ।<br>1 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो |
|---|---|
| 49% से अधिक न करने वाली ऐसी भारतीय स्वामियों है   100% स्वतः अनुमोदित   100% स्वतः अन | हो और निवेश कंपनी का प्रबंध के पास हो ।  एनबीएफसी के करण मानदंड कात तक प्रत्यक्ष 0.5 मिलियन अपफ्रंट लाया  ा 51 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो, अमरीकी डॉलर ए ।  ा 75 प्रतिशत से प्रतिशत से प्रतिशत तक हो  |
| 27. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां  i) मर्चेट बैंकिंग 100% स्वतः अनुमोदित निधि आधारित प्रतिप्र न्यूनतम पूंजी  ii) अइटरराइटिंग तिष्ठ म्यूनतम पूंजी  iii) संविभाग प्रबंध सेवा  iv) निवेश परामर्श सेवा  v) वित्तीय परामर्श  vi) स्टॉक-ब्रोकिंग  vii) परिसंपत्ति प्रबंध  viii) परिसंपत्ति प्रबंध  | कंपनी का प्रबंध के पास हो ।  एनबीएफसी के करण मानदंड तक प्रत्यक्ष 0.5 मिलियन अपफ्रंट लाया  ा 51 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो, अमरीकी डॉलर ए ।  ा 75 प्रतिशत तक हो प्रतिशत तक हो  |
| भारतीय स्वामियों वे     100%   स्वतः अनुमोदित   निधि आधारित प्रतिष्ट स्वतः के लिए अमरीकी डॉलर जाए । यदि प्रत्यक्ष निवेष अधिक और 75 प्रति प्रतियन अपफ्रंट लाया जाए । यदि प्रत्यक्ष निवेष अधिक और 75 प्रति प्रतियन अपफ्रंट लाया जाए । यदि प्रत्यक्ष निवेष अधिक और 100 तो 50 मिलियन जिसमें 7.5 मिलियन जिसमें 7.5 मिलियन  | क पास हो । एनबीएफसी के ।करण मानदंड ।त तक प्रत्यक्ष 0.5 मिलियन अपफ्रंट लाया । 51 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो, अमरीकी डॉलर ए । । 75 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो   |
| भारतीय स्वामियों वे     गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां     गंग मर्चेट बैंकिंग   100%   स्वतः अनुमोदित   निधि आधारित प्रतिष्ट न्यूनतम पूंजी (क) 51 प्रतिष्ट निवेश के लिए अमरीकी डॉलर जाए।   प्रां   निवेश परामर्श सेवा   यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 75 प्रति निवेश अधिक और 75 प्रति निवेश अप्रते लाया जाए।   प्रां   स्टॉक-ब्रोकिंग   परिसंपत्ति प्रबंध   परिसंपत्ति प्रबंध   परिसंपत्ति प्रवंध   परिसंपति प्रवंध   परिसंपति प्रवंध   परिसंपति प | क पास हो । एनबीएफसी के करण मानदंड ात तक प्रत्यक्ष 0.5 मिलियन अपफ्रंट लाया ा 51 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो, अमरीकी डॉलर ए । ा 75 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो  |
| 100% स्वतः अनुमोदित निधि आधारित प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ विलेग   100% स्वतः अनुमोदित निधि आधारित प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ विलेश के लिए न्यूनतम पूंजी (क) 51 प्रतिष्ठ निवेश के लिए अमरीकी डॉलर जाए। यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 75 प्रतिष्ठ विल्तीय परामर्श सेवा यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 75 प्रति मिलियन अपफ्रंट लाया जाए प्रति प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 100 तो 50 मिलियन जिसमें 7.5 मिलियन जिसमें 7.5 मिलियन   | एनबीएफसी के ।करण मानदंड ।त तक प्रत्यक्ष 0.5 मिलियन अपफ्रंट लाया । 51 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो अमरीकी डॉलर र । । 75 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो   |
| i) मर्चेट बैंकिंग 100% स्वतः अनुमोदित निधि आधारित प्रतिष् न्यूनतम पूंजी (क) 51 प्रतिष् निवेश के लिए अमरीकी डॉलर जाए। यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 75 प्रति प्रतियन अपफ्रंट लाया जाए प्रां) स्टॉक-ब्रोकिंग परिसंपत्ति प्रबंध  | ाकरण मानदंड<br>ात तक प्रत्यक्ष<br>0.5 मिलियन<br>अपफ्रंट लाया<br>51 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो,<br>अमरीकी डॉलर<br>र ।<br>ा 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो   |
| ii) अइटरराइटिंग   (क) 51 प्रतिष्ठ   निवेश के लिए अमरीकी डॉलर जाए।   यदि प्रत्यक्ष निवेश और 75 प्रति   निवेश परामर्श सेवा   यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 75 प्रते   निवेश जाए   यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 75 प्रते   निवेश जाए  | ाकरण मानदंड<br>ात तक प्रत्यक्ष<br>0.5 मिलियन<br>अपफ्रंट लाया<br>51 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो,<br>अमरीकी डॉलर<br>र ।<br>ा 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो   |
| iii ) अइटरराइटिंग  iii ) संविभाग प्रबंध सेवा  iv ) निवेश परामर्श सेवा  v' वित्तीय परामर्श  vi) स्टॉक-ब्रोकिंग  vii) परिसंपत्ति प्रबंध   | ात तक प्रत्यक्ष<br>0.5 मिलियन<br>अपफ्रंट लाया<br>51 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो,<br>अमरीकी डॉलर<br>र ।<br>1 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो  |
| (iii ) संविभाग प्रबंध सेवा   निवेश के लिए अमरीकी डॉलर जाए   यदि प्रत्यक्ष निवेश और 75 ! वित्तीय परामर्श   स्टॉक-ब्रोकिंग   परिसंपत्ति प्रबंध   परिसंपत्ति प्रबंध   परिसंपत्ति प्रबंध   परिसंपत्त प्रबंध   परिसंपत्ति प्रबंध   परिसंपत्ति प्रवंध   परिसंपत्ति परिसंपत्ति परिसंपत्ति परिसंपत्ति परिसंपति   परिसंपत्ति परिसंपति   परिसंपति परिसंपति   परिसंपत | 0.5 मिलियन<br>अपफ्रंट लाया<br>151 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो,<br>अमरीकी डॉलर<br>ए ।<br>175 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो   |
| iii ) संविभाग प्रबंध सेवा  iv ) निवेश परामर्श सेवा  v' वित्तीय परामर्श  vi) स्टॉक-ब्रोकिंग  vii) परिसंपत्ति प्रबंध  | अपफ्रंट लाया  1 51 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो, अमरीकी डॉलर र । 1 75 प्रतिशत से प्रतिशत तक हो  |
| iv ) निवेश परामर्श सेवा  v' वित्तीय परामर्श  vi) स्टॉक-ब्रोकिंग  vii) परिसंपत्ति प्रबंध  जाए।  यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 75 ! तो 5 मिलियन अपफ्रंट लाया जाप यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 100 तो 50 मिलियन जिसमें 7.5 मि   | ा 51 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो,<br>अमरीकी डॉलर<br>ए ।<br>ा 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो   |
| iv )       निवेश परामर्श सेवा       यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 75 प्रतो 5 मिलियन अपफ्रंट लाया जाए ।         vi)       स्टॉक-ब्रोकिंग       यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 100 तो 50 मिलियन जिसमें 7.5 मिलियन  | प्रतिशत तक हो,<br>अमरीकी डॉलर<br>ए ।<br>ा 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो  |
| ()       वित्तीय परामर्श         ()       स्टॉक-ब्रोकिंग         ()       परिसंपत्ति प्रबंध         ()       परिसंपत्ति प्रबंध              अधिक और 75 प्र         तो 5 मिलियन         उपां)       परिसंपत्ति प्रबंध  | प्रतिशत तक हो,<br>अमरीकी डॉलर<br>ए ।<br>ा 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो  |
| अधिक और 75 प्र<br>तो 5 मिलियन<br>अपफ्रंट लाया जाप<br>यदि प्रत्यक्ष निवेश<br>अधिक और 100<br>तो 50 मिलियन<br>जिसमें 7.5 मि  | अमरीकी डॉलर<br>र ।<br>ा 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो  |
| vi)       स्टॉक-ब्रोकिंग         vii)       परिसंपत्ति प्रबंध             vii)       परिसंपत्ति प्रबंध             अपफ्रंट लाया जाप         यदि प्रत्यक्ष निवेश         तो 50 मिलियन         जिसमें 7.5 मि  | र ।<br>1 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो   |
| vi)       स्टॉक-ब्रोकिंग         vii)       परिसंपत्ति प्रबंध         vii)       परिसंपत्ति प्रबंध     अपफ्रंट लाया जाप यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 100 तो 50 मिलियन जिसमें 7.5 मि  | र ।<br>1 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो   |
| vi)       स्टॉक-ब्रोकिंग       यदि प्रत्यक्ष निवेश अधिक और 100 तो 50 मिलियन         vii)       परिसंपत्ति प्रबंध       जिसमें 7.5 मि  | ा 75 प्रतिशत से<br>प्रतिशत तक हो  |
| vii)       परिसंपत्ति प्रबंध         अधिक और 100         तो 50 मिलियन         जिसमें 7.5 मि   | प्रतिशत तक हो   |
| vii) परिसंपत्ति प्रबंध तो 50 मिलियन जिसमें 7.5 मि   |   |
| जिसमें 7.5 मि   | अवस्थिति हान्यस्  |
|   | I   |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   |   |
| viii) उद्यम पूंजी डॉलर अपफ्रंट र  | I   |
| शिष 24 महाना म  | _   |
| ix) अभिरक्षण सेवा (ख) गैर-नि  | 1   |
| एनबीएफसी कार  |   |
| x) फैक्टरिंग न्यूनतम पूंजीकर  | ण मानदंड-0.5  |
| x) फैक्टरिंग   मिलियन अमरीर्क   | । डॉलर ।  |
| 1 1 20 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |   |
| xi) क्रेडिट निर्घारक एजेंसियां (ग) विदेशी नि  | नेवेशक भारतीय   |
| कंपनियों के अपने  | ने इक्विटी के कम  |
| 1 At 1 MIV441 USI 10CL  | तक विनिवेश के   |
| 37-77-71 1  | 00% तक  |
| 1   excention 12 = 1  | ७०%   |
|   |   |
|   | बशर्त कि ऐसी  |
| क्पानया पारचार  | ननात्मक कंपनियों  |
| 1 \ 1 <del>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \</del>  | ाना किसी प्रतिबंध   |
| क 50 मिलवर्ग  | अमरीकी डॉलर   |
| । 👊 📗 । चटा प्रवितनेक काराबार ।   | ( अतिरिक्त पूंजी  |
|   | परिचालनात्मक  |
|   | <b>ड्या के प्रतिबंध</b> को  |
| xvii) माइक्रो क्रेडिट छोड़कर )  |   |
|   |   |
| xviii) ग्रामीण ऋण घ) एनबीएफर्स  | ो परिंगलन के  |
|   | जनके 75 प्रतिशत   |
|   | ात से कम विदेशी   |
| जियपा 75 श्रारार  | N N 401 14401   |

| <u> </u> | <u>। (— खण्ड 3(i) ]</u>  | भारत का राजपत्र   | . 51(11-11(1)   |  |
|----------|--|---|---|--|
| 20       |  |   |   | निवेश है उन्हें भी अन्य<br>एनबीएफसी कार्यकलापों के लिए<br>कंपनियां स्थापित करने की भी<br>अनुमित होगी बशर्ते कि कंपनियां<br>भी न्यूनतम पूँजी अंतर्वाह की शर्तों<br>का अनुपालन करें।<br>ड) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा<br>निदेशों का अनुपालन के अधीन। |
| 28.      |  | <del></del>   | (00   |  |
| (ক)      | पेट्रोलियम और प्राकृतिक<br>गैस क्षेत्र रिफायनिंग<br>(निजी क्षेत्र)   | 49% तक<br>सरकारी क्षेत्र की<br>कंपनियों के मामले में<br>100% तक<br>निजी क्षेत्र की कंपनियों<br>के मामले में   | एफआईपीबी -<br>सरकारी क्षेत्र की<br>कंपनियों के<br>मामले में<br>स्वत: अनुमोदित<br>मार्ग -निजी क्षेत्र<br>की कंपनियों के<br>मामले में | तेल बाजार सेक्टर में मौजूदा<br>सेक्टोरल नीति और बिना विनिवेश<br>अथवा सरकारी क्षेत्र की मौजूदा<br>आंतरिक इक्विटी डाल्यूशन के<br>बिना ।<br>(www.petroleum.nic.in)  |
| (ख)      | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस<br>क्षेत्र में मार्केटिंग के लिए<br>इकांइया बनाने / उनमें निवेश/<br>वित्त पोषण, बुनियादी सुविधाएं<br>लगाने सहित रिफायनिंग<br>और मार्केट स्टडी के<br>अतिरिक्त   | 100%  | स्वत: अनुमोदित<br>मार्ग   | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस<br>मंत्रालय द्वारा जारी सेक्टोरल<br>विनियम के अधीन I<br>(www.petroleum.nic.in)   |
| 29.      | प्रिंट मीडिया  | <del></del>   |   | •  |
| (क)      | समाचार और सामयिक विषयों<br>पर समाचारपत्र और आवधिक<br>प्रकाशित करने वाली कंपनिया  | 26%   | एफआईपीबी  | सूचना और प्रसारण मंत्रालय<br>द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के<br>अनुसार (www.mib.nic.in)  |
| (ख)      | वैज्ञानिक पत्रिकाएं / विशेष<br>विषय पर जर्नल /आवधिक<br>प्रकाशित करने वाली कंपनिया  | 100%  | एफआईपीबी  | सूचना और प्रसारण मंत्रालय<br>द्वारा अधिसूचित दिशा-निर्देशों के<br>अनुसार (www.mib.nic.in)  |
| 30.      | दूरसंचार   | ·   |   |  |
| क.       | बेसिक और सेलूलर,<br>यूनिफाइड एक्सेस सर्विसेज/<br>लंबी दूरी वाले इंटरनेशनल<br>वी- सेट पब्लिक मोबाइल<br>रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज<br>(पीएमआरटीएस) , ग्लोबल<br>पर्सनल कम्यूनिकेशन में<br>सेवाओं में और अन्य उत्कृष्ट<br>दूरसंचार सर्विसेज | 74%(<br>विदेशी प्रत्यक्ष<br>निवेश,विदेशी संस्थागत<br>निवेश,भारतीय<br>अनिवासी<br>निवेश,एफसीसीबीएस<br>प्राधिकृत व्यापारी,<br>जीडीआर, परिवर्तनीय<br>अधिमान शेयर और | 49% तक रवत: अनुमोदित मार्ग से 49% से अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रस्ताव पर एफआइपीबी द्वारा                                     | 19 अप्रैल 2007 के प्रेस नोट<br>3(2007सिरीज ) द्वारा अधिसूचित<br>दिशा-निर्देशों के अनुसार ।   |

| `#         |                                |                        |                   | T   |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---|
| İ          |                                | भारतीय प्रवर्तकों/     |                   |   |
|            |                                | विनिबेशिक कंपनियों में |                   |   |
| 1          |                                | पोर्टफोलियोविदेशी      |                   | İ   |
|            |                                | इक्विटी को शामिल       |                   |   |
|            |                                | करते हुए )             |                   |   |
| ख.         | आईएसपी के साथ गेटवे,           | 74%                    | 49% तक स्वत:      | मन ग्रेटमां न्यांन्य निष्णा नाम                         |
| <b>ч</b> . | रेडिओ पेजिंग और लंबाई में      | 1470                   |                   | यह सेवाएं दूरसंचार विभाग द्वारा                         |
|            |                                |                        | अनुमोदित मार्ग    | अधिसूचित् लाइसेसिंग और सुरक्षा                          |
|            | अथवा सिरे से सिरे तक बैंड      |                        | से                | अपेक्षाओं के अधीन                                       |
|            | चौड़ाई में                     |                        |                   | ( www.dotindia.com)                                     |
|            |                                |                        | 49% से अधिक       |   |
|            |                                |                        | विदेशी प्रत्यक्ष  |   |
|            |                                |                        | निवेश के प्रस्ताव | 1 -   |
|            |                                |                        | पर एफआइपीबी       |   |
|            |                                |                        | द्वारा            |   |
| ग.         | क) गेटवे उपलब्ध न              | 100%                   | L                 |   |
| ".         |                                | 100%                   | 49% तक स्वत:      | यदि ये कंपनियां दुनिया के अन्य                          |
| 1 .        | करानेवाले आईएसपी               | •                      | अनुमोदित मार्ग    | देशों में भी सूचीबद्ध हैं तो वे 5 वर्ष                  |
| 1          | ख) डार्क फाइबर उपलब्ध          |                        | से                | में अपने ईक्विटी के 26 % तक                             |
|            | करानेवाले इनफ्रास्ट्रक्चर      | *                      |                   | जनता के पक्ष में निवेश करेंगी ।                         |
|            | प्रोवाइडर्स , डक्ट, खुला स्थान |                        | 49% से अधिक       | यह सेवाएं दूरसंचार विभाग द्वारा                         |
|            | और टॉवर की दाहिनी ओर           | •                      | विदेशी प्रत्यक्ष  | अधिसूचित लाइसेसिंग और सुरक्षा                           |
|            | (आईपी श्रेणी -।)               |                        | निवेश के प्रस्ताव | अपेक्षाओं के भी अधीन                                    |
| -          | ग) इलेक्ट्रॉनिक मेल और         |                        | पर एफआईपीबी       | (www.dotindia.com)                                      |
|            | वॉइस मेल                       | •                      | l ' '             | (www.dothldia.com)                                      |
| ਬ.         | दूरसंचार उपकरणों का            | 4000/                  | द्वारा            |   |
| ۱ ۹۰       | निर्माण                        | 100%                   | स्वत: अनुमोदित    | सेक्टोरल अपेक्षाओं के भी अधीन                           |
| <u> </u>   | <del>-  </del>                 |                        | मार्ग से          | (www.dotindia.com)                                      |
| 31.        | व्यापार                        | ·                      |                   | •   |
| क          | कैश &कैरी                      | 100%                   | स्वतः अनुमोदित    | 10 फरवरी 206 के प्रेस नोट                               |
| 1          | थोक व्यापार                    |                        | मार्ग से          | 3(2006 सिरीज) द्वारा विदेशी                             |
| -          | ·                              |                        |                   | प्रत्यक्ष निवेश में ट्रेडिंग के लिए                     |
|            | ·                              |                        |                   | अधिसूचित औद्योगिक नीति और                               |
|            |                                | ·                      |                   | प्रवर्तन विभाग द्वारा जारी दिशा-                        |
|            |                                |                        |                   | विर्माण विभाग द्वारा जारा ।दशाः<br>निर्देशों के अधीन ।: |
| <u>-</u>   | निर्यात के लिए ट्रेडिंग        | 1000/                  |                   | ागपरा। क अधान ।:  |
| ٦          | ायात क ।लंद ट्राङ्ग            | 100%                   | स्वतः अनुमोदित    | <del></del>   |
| <u> </u>   |                                | ·                      | मार्ग से          |   |
| ग          | लघु उद्योग क्षेत्र के स्रोत से | 100%                   | एफआईपीबी द्वारा   |   |
|            | वस्तुओं का व्यापार             |                        |                   | . i   |
| घ          | उन वस्तुओं की टेस्ट-           | 100%                   | एफआईपीबी द्वारा   | ऐसी वस्तुओं की टेस्ट मार्केटिंग                         |
|            | मार्केटिंग जिनके उत्पादन के    |                        | i                 | जिसके लिए कंपनी को उत्पाद की                            |
|            | लिए कंपनी ने अनुमोदन प्राप्त   |                        |                   | अनुमति है बशर्ते कि ऐसी टेस्ट                           |
|            | किया है ।                      |                        |                   | मार्केट सुविधा दो साल के अविध                           |
|            |                                |                        | *                 |   |
|            | ·                              | ÷                      | •                 | की हो और उत्पादन सुविधाओं में                           |
|            |                                | 5                      |                   | निवेश का प्रारंभ टेस्ट मार्केटिंग के                    |
| <u> </u>   |                                |                        |                   | साथ किया हो   |

| ভ   | सिल ब्रांड उत्पादन का खुदरा   | 51%  | एफआईपीबी द्वारा            |   |
|-----|---|------|----------------------------|---|
| 32. | व्यापार<br>सेटलाइट:स्थापना और<br>परिचालन  | 74%  | एफआईपीबी द्वारा            | अंतरिक्ष/भारतीय अंतरिक्ष<br>अनुसंधान संगठन द्वारा जारी<br>सेक्टोरल दिशा-निर्देशों के अधीन                         |
| 33. | विशेष आर्थिक क्षेत्र और मुक्त<br>व्यापार, इन क्षेत्रों को स्थापित<br>करना और इनमें इकाइयां<br>खोलना             | 100% | स्वतः अनुमोदित<br>मार्ग से | ( www.iso.org)<br>विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम<br>2005 और विदेश व्यापार नीति के<br>अधीन<br>(www.sezindia.nic.in.) |
| 34. | दवाइयां और औषधियां<br>(फार्मास्युटिकल्स) जिसमें<br>रिकॉम्बिनेंट<br>डीएनए तकनीक से उत्पादित<br>दवाइयां शामिल है। | 100% | स्वत: अनुमोदित<br>मार्ग से | <del></del>   |

पाद-टिप्पणी : उपर्युक्त अनुबंध आ में उल्लिखित उपर्युक्त सभी क्षेत्र / कार्यकलाप भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी संबंधित प्रेस नोटों द्वारा नियंत्रित हैं ।

संलग्नक-ग

# विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अनुसार शेयर जारी करने हेतू प्रतिफल प्राप्त करनेवाली भारतीय कंपनी

( 3 मई 2000 की आधिसूचना फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची ॐ 1 के पैरा 9(1)(ए) के अनुसार मांगी गयी रिपोर्ट कंपनी द्वारा अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी 1 बैंक के माध्यम से प्रतिफल की राशि की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्रगाधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय रिश्यत है, भरा जाना है )

| आयकर    | विभाग    | द्वारा | इन  | विस्टी |
|---------|----------|--------|-----|--------|
| कंपनी क | गे आबंटि | त स्थ  | ायी | खाता   |
| संख्या  |          |        |     |        |

|   |    |   |      | ł   |  |  |     |   |   |
|---|----|---|------|-----|--|--|-----|---|---|
|   |    |   | 1 .  |     |  |  | 1   |   |   |
|   |    |   | }    |     |  |  |     |   | 1 |
| ! |    |   |      |     |  |  |     |   |   |
|   | 1  |   |      |     |  |  |     |   |   |
|   | ĺ. | 1 |      |     |  |  |     | ĺ |   |
|   | ĺ  |   |      |     |  |  | l i |   |   |
|   |    |   | l. 1 |     |  |  |     |   |   |
|   |    |   | 1 1  | 1 1 |  |  |     |   |   |

| सं. | ब्योरे  | (स्पष्ट अक्षरों में) |
|-----|---|----------------------|
| 1.  | भारतीय कंपनी का नाम<br>कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता |                      |
|     | फैक्स   |                      |
|     | टेलिफोन   |                      |
|     | इ-मेल   |                      |

| T       | TA ( R ) ( N )                                     |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.      | विदेशी सहयोगी के ब्योरे                            | 6                                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ŀ       | नाम  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  | ·                                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | पता  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1       |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1       | । देश  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 3       | निधी प्राप्त करने की तारीख                         | <u> </u>                              |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4       | राशि   | Ban nan it                            | रुपयों में                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 4       | सारा   | विदेशी मुद्रा में                     | रुपया न                           |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5       | उल्लेख करें कि क्या विदेशी प्रत्यक्ष               | नितेश स्तृत अनुमोदित                  | स्वतः अनुमोदित मार्ग / सरकारी     |  |  |  |  |  |  |  |
| ١       | मार्ग से अथवा सरकारी अनुमोदन के                    |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | है ?   | माग के तहत अनुमत                      | अनुनादन नान                       |  |  |  |  |  |  |  |
|         | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \              | -> C >                                |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | यदि सरकारी अनुमोदन है                              |                                       | ,                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|         | (एफआयपीबी अनुमोदन की संदर्भ                        | र्भ सं. तथा दिनांक)                   | ·                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6       | प्राधिकृत व्यापारी का नाम जिसके                    | द्वारा प्रेषण प्राप्त                 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | किया गया   |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 7       |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | प्राधिकृत व्यापारी का पता                          |                                       | <u> </u>                          |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  | •                                     |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| शेय     | ार / परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने <del>हे</del> तू | ्उगाही गयी राशि की                    | ो प्राप्ति के सबूत के तौर पे      |  |  |  |  |  |  |  |
| एफ      | आयआर सी की प्रतिलिपि संलग्न की है                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | <u> </u>   |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | वेस्टी कंपनी का                                    |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| प्राधि  | <b>ा</b> कृत हस्ताक्षरी                            | प्राधिकृत व                           | त्र्यापारी का प्रधिकृत हस्ताक्षरी |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| ne.     | г  |                                       | ੰ ਸਿਟਤ                            |  |  |  |  |  |  |  |
| मुह     |  |                                       | मुहर                              |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         |  |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|         | केवल रिज़र्व बै                                    | क के उपयोग के लि                      | <b>ये</b> :                       |  |  |  |  |  |  |  |
| विप्रेष | वन प्राप्त करने हेतु अनन्य पहचान संख्या :          |                                       |                                   |  |  |  |  |  |  |  |

# अनिवासी निवेशको के संदर्भ में ग्राहक को जानने ( के वाइ सी ) का फार्म

| निवेशक / प्रेषक का यंजीकृत नाम            |   |
|---|---|
| (यदि निवेशक एक व्यक्ति है ता व्यक्ति      |   |
| का नाम )                                  |   |
| पंजीकृत संख्या (यादे प्रेषक व्यक्ति है तो |   |
| उसका अनन्य पहचान संख्या )                 |   |
| पंजीकृत पता (यदि प्रेषक व्यक्ति है ती     |   |
| उसका स्थायी पता 📗                         |   |
|   |   |
| धेषक के बैंक का नाम                       |   |
| •   |   |
| प्रेषक का बैंक खाता संख्या                |   |
|   | · |
| प्रेषक के साथ बैंकिंग रिश्तों की समय      |   |
| अवधि                                      |   |

पासपोर्ट संख्या, सामाजिक सुरक्षा सं., या को अन्य अनन्य सं. जो कि प्रेषक की सदाशयी को प्रेषक के देश में प्रमाणित करता है ।

अनिवासीय निवेशक के समुद्रप्रारिय प्रेषक बैंक द्वारा दी गयी सारी जानकारी सही और यथार्थ है इसकी हम पुष्टी करते हैं।

दिनांक:

स्थान :

( प्रेषण, प्राप्त करनेवाली प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर )

मुहर :

संलग्नक-घ

# एफसी-जीपीआर

### भाग-अ

(जब कभी कंपनी विदेशी निवेशकों को शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचरर्स जारी करती है तो उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के माध्यम से इस फार्म के साथ संलग्न बचनपत्र की मद संख्या 4 में उल्लिखित दस्तावेजो सहित रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय रिथत है, भरा जाना है।)

|             | कर विभाग द्वारा आबंटित<br>V) पैन सं.   |                      |        |  |             |       |          |      |          |     |          |  |
|-------------|--|----------------------|--------|--|-------------|-------|----------|------|----------|-----|----------|--|
|             | /परिवर्तनीय डिबेंचरर्स जारी करने<br>गारीख                                    |                      |        |  |             |       |          |      |          |     |          |  |
| ₹і.         | ब्योरे   | (स्पष्ट अक्षरों में) |        |  |             |       |          |      |          |     |          |  |
| 1.          | नाम  | -                    | r      | Τ                                      | <del></del> |       | 7.41(1   | 11). | Γ.,      |     | Γ .      |  |
|             |  |                      |        |  |             |       |          |      |          |     |          |  |
|             |  |                      | 1      | <u>í</u>                               |             | 1     | <u> </u> | J    | <u> </u> |     | L        |  |
|             | पता  | <u> </u>             |        | Τ                                      |             |       |          |      |          |     |          |  |
|             |  |                      |        |  |             |       |          |      |          | ,   |          |  |
|             |  |                      |        |  |             |       |          |      |          |     |          |  |
|             |  |                      |        | <u> </u>                               |             |       |          |      |          |     |          |  |
|             | राज्य  |                      |        |  |             |       |          |      |          |     |          |  |
|             | रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी को आबंटित पंजीकरण<br>संख्या                          | ļ<br>                | •      |  |             |       |          |      |          | · ] |          |  |
|             | मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है<br>(जो लागू न हो उसे काट दें)                  | मौजृ                 | ्दा वं | न्पनी                                  | / नई व      | कंपनी | है       |      |          |     |          |  |
|             | मौजूदा कंपनी के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश                             |                      |        |  |             |       |          | ,    |          |     |          |  |
| -           | के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित<br>पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें। |                      |        |  |             |       |          |      |          |     |          |  |
|             | टेलीफोन  |                      | •      | Τ                                      | <u> </u>    |       |          |      | <u>.</u> |     | $\dashv$ |  |
|             |  |                      |        | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |             |       |          | L    |          |     | $\dashv$ |  |
| <del></del> | फैक्स  |                      |        |  |             |       |          |      |          |     |          |  |
|             | ई -मेल   |                      |        |  |             |       | -        |      |          |     |          |  |

| F  | === |  |              |   | <del>i</del>                                 | 1           |  |             |          |               | 1        |          |
|----|-----|--|--------------|---|--|-------------|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|
|    | 2.  | मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का वर्णन                |              |   | .*   |             |  |             |          |               | ĺ        |          |
|    |     |  |              |   |  |             |  |             |          | -             |          |          |
| 1  |     | •  |              | ļ. <u>.</u>                                   | -  |             |  |             | <u> </u> |               |          |          |
| 1  |     |  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | . '  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     |  |              | Γ   |  |             |  |             | l        | l             | т- —     |          |
| 1  |     | एनआइसी कूट                                       |              |   |  |             |  | L           |          |               | ļ        |          |
| i  |     |  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    | ŀ   |  |              | _   | 1  | Γ           |  | 1.          |          | Γ-            |          |          |
|    |     | ङारियोजना का कार्यस्थल और उस जिले की             |              | <u> </u>                                      |  |             |  |             |          | İ             |          |          |
|    | ļ   | एनआइसी कूट संख्या                                |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     |  |              |   |  |             |  |             |          | _             |          |          |
|    |     |  | <u> </u>     | Ļ   | <u>.                                    </u> |             |  |             |          | <u> </u>      |          | <u> </u> |
|    |     | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार अनुमत      |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत                |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| L  |     |  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| -  |     | उल्लेख करें कि क्या विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्वत: |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| 1  |     | अनुमोदित मार्ग से अथवा सरकारी अनुमोदन के         |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| 1  |     | मार्ग के तहत अनुमत है ?                          |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| Ļ  |     |  |              | · .   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    | 3.  | विदेशी सहयोगी के ब्योरे                          |              |   |  |             | ·  |             |          |               |          |          |
| ľ  |     | नाम  |              | 1   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| ı  |     |  |              | <del></del>                                   |  |             | <del> </del>                                 | -           |          |               |          |          |
|    |     |  |              | <u> </u>                                      |  |             |  | <u> </u>    | <u> </u> |               |          |          |
|    |     |  |              |   | ļ  |             |  | 5           | ļ        |               |          |          |
|    |     |  | -            | <del></del>                                   | 1  |             | l  | L           | ٠        | L             |          | ٠        |
|    | ĺ   | No.  | <del> </del> | 1   |  | <del></del> | ·  | 1           |          | 1             |          | -        |
|    |     | पता  |              |   |  | l           | l  |             |          |               | ļ        |          |
| ł  |     |  |              |   |  |             |  |             |          |               | }        |          |
| ľ  |     | •  | <b>-</b> ·   | <del></del>                                   | †  |             | -  |             |          | <del></del> - | $\vdash$ |          |
| 1  |     |  |              | <u> </u>                                      |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     |  |              |   |  | 1           | ļ  |             |          |               | 1        |          |
|    |     |  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| I. |     | देश  | -            | Τ   | 1  | 1           | 1  |             |          |               | 1        |          |
|    | 120 |  |              | <u>L.                                    </u> | <u> </u>                                     | <u> </u>    | <u>L                                    </u> | <u>L.</u> . | L        |               |          |          |
| 1  |     | निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप(उल्लेख               |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| 1  |     | किया जाए कि वह                                   |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| 1  |     |  | ١.           |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | 1. व्यक्ति                                       |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| -  | ,   | 2. कंपनी   |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| -  | 1   | 3. विदेशी संस्थागत निवेश                         |              | •   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| 1  |     |  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | 4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेश                      |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| Ì  |     | 5. विदेश ट्रस्ट                                  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| l. |     | 6. प्राइवेट इक्विटी फंड                          |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | 7. पेंशन भविष्य निधि                             | +            |   |  |             |  | •           |          |               |          | · i      |
| -  |     |  | ] .          |   |  |             | :  |             |          |               |          |          |
| 1  |     | 8. सॉवरीन वेल्थ फंड 4                            |              |   |  |             | ٠  |             |          |               |          |          |
|    |     | 9. पार्टनरशिप/प्रोपाइटरशिप फर्म                  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | ·  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | 10. वित्तीय संस्था                               |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| 1  |     | 11. अनिवासी भारतीय / भारतीय मूल के               | 1.           |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | अन्य व्यक्ति                                     |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
| -  |     | _  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | 12. अन्य ( कृपया स्पष्ट करें )                   |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     |  |              |   |  |             |  |             |          |               |          |          |
|    |     | समाविष्ट करने की तारीख                           |              |   |  |             |  |             |          |               |          | ļ        |
|    |     | LAMBAG AW CHANNING                               | i            |   |  |             |  |             |          |               |          |          |

| 4. |  |                              |                    | रिवर्तनीय डिबे                | चरों के ब्योर     |                    |  |           |
|----|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--|-----------|
| क  | निर्गम का                                    | स्वरूप                       | । और त             | ारीख                          |                   |                    | · · · · .                              |           |
|    |  |                              | निर्गम             | का स्वरूप                     |                   | निर्गम की<br>तारीख | शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंच<br>की संख्या | रों       |
|    |  | 01                           | प्रारंभिव<br>एफपीअ | न् सार्वजनिक <u>प्र</u><br>गो | प्रस्ताव <i>।</i> |                    |  |           |
|    |  | 02                           | अधिमा•             | न आबटन/निज                    | नी स्थान नियोजन   |                    |  |           |
|    |  | 03                           | अधिका              | ₹                             | ·                 |                    |  |           |
|    |  | 04                           | बोनस               |                               |                   |                    |  |           |
|    |  | 05                           | बाह्य व            | णिज्यिक उधा                   | र का परिवर्तन     |                    |  |           |
|    |  | 06                           | सहित)              |                               | (एकमुश्त भुगतान   |                    |  |           |
|    |  | 07                           | द्वारा म           | ाल के आयात                    |                   |                    |  |           |
|    |  | 08                           |                    | री स्टॉक विक                  | त्र योजनाएं       |                    |  |           |
| ,  |  | 09                           | शेयर र             |                               |                   |                    | ;<br>                                  |           |
|    | !<br>  | 10                           | अन्य (वृ           | <b>p</b> पया उल्लेख           | करें)             |                    |  |           |
|    |  |                              | कुल                |                               | <u> </u>          |                    |  |           |
| ख  | जारी प्रति                                   |                              |                    | रूप                           |                   |                    | <u>,</u>                               |           |
| ·  | ङ्ग्रतिभूति                                  | का स्ट                       | रुप                | संख्या                        | परिपक्वता         | अंकित मूल्य        | निर्गम मूल्य प्रति शेयर                | आवक राशि* |
| 01 | ईक्विटी                                      |                              | ·                  |                               |                   | -                  |  |           |
| 02 | अनिवार्य<br>परिवर्तनीय                       |                              |                    |                               |                   | -                  |  |           |
| 03 | अनिवार्य रूप से<br>परिवर्तनीय अधिमान<br>शेयर |                              |                    |                               |                   |                    |  |           |
| 04 |  | च( कृपया स्पष्ट<br>लेख करें) |                    |                               |                   |                    |  |           |
|    | कुल  |                              |                    |                               |                   | <u> </u>           |  |           |

- निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।
- ii)\* अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी के परिवर्तन पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र ।

| ग | प्रीमियम का ब्रेक-अप  | राशि |   |
|---|-----------------------|------|---|
|   | कंट्रोल प्रीमियम      |      |   |
|   | गैर-प्रतिरपर्धा शुल्क |      |   |
| - | अन्य*                 |      |   |
|   | कुल                   |      | - |
| - | प्राप्त करा किर्पे    |      |   |

च निम्निलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयर जारी करने से **कुल आवक** (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) (i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रेषण

| ••• | · · · · · | 35(7)   | <br>        |       |
|-----|-----------|---|-------------|-------|
|     |           | (ii) <b>बैंक के पास अनिवासी</b> (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा<br>अनिवासी खाते में नामे | <del></del> |       |
|     |           | (iii) अन्य  |             |       |
|     |           | न्समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना                                  |             |       |
|     |           | सं.फेमा.20/2000-आरबी के पैरा 9(1)अ (i) के अधीन                                  |             |       |
|     |           | भारतीय रिजर्व बैंक को उपर्युक्त (i) रिपोर्ट करने की तारीख                       | <br>        |       |
| I   | ङ         | जारी किए गए शेयरों का उचित मूल्य का प्रकटीकरण                                   | <br>        |       |
| ļ   |           | हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक शेयर                             |             |       |
|     |           | का बाजार मूल्य है' ,  |             |       |
|     |           | हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य हैं                             | <br>        | :<br> |
|     |           |   |             |       |

## \*\* शेयर के निर्गम से पहले

# \*(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शायें)

| 5. | 1     | न के पश्चात शेयर धारिता का स                 |                  |                |  | · ·               |                | <u> </u>   |
|----|-------|--|------------------|----------------|--|-------------------|----------------|------------|
|    | निवेश | राक वर्ग                                     | ईक्विटी          |                |  | अधिमान<br>डिबेंचर | शेयर/          | परिवर्तनीय |
|    |       |  | शेयरों<br>की सं. | राशि<br>(अंकित | %  | शेयरों<br>की सं.  | राशि<br>(अंकित | %          |
|    |       |  |                  | मूल्य)<br>रु.  |  |                   | मूल्य)<br>रु.  | · .        |
| क) | अनि   |  |                  |                |  |                   |                |            |
|    | 01    | व्यक्ति                                      | · _              |                | <u> </u>   |                   |                |            |
|    | 02    | विदेशी कंपनियां                              |                  |                |  |                   |                |            |
| -  | 03    | विदेशी संस्थागत निवेशक                       |                  |                | <u> </u>   |                   |                |            |
|    | 04    | विदेशी जोखिम पूंजी निवेश                     |                  |                | <u> </u>   |                   |                | <u> </u>   |
|    | 05    | अनिवासी भारतीय/ भारतीय<br>मूल के व्यक्ति     |                  |                |  |                   | N              |            |
|    | 06    | प्राइवेट इक्विटी फंड                         | · _ ·            |                | <del> </del>                                     | <del> </del>      |                | \ \        |
|    | 07    | पेंशन भविष्य निधि                            |                  | <del> =</del>  | 1 -  |                   |                |            |
| •  | 08    | सॉवरीन वेल्थ फंड 6                           |                  |                |  |                   |                |            |
|    | 09    | पार्टनरशिप/प्रोपाइटरशिप<br>फर्म              |                  |                |  |                   |                |            |
|    | 10    | वित्तीय संस्था                               |                  |                |  |                   |                | <u> </u>   |
|    | 11    | अनिवासी भारतीय/भारतीय<br>मूल के अन्य व्यक्ति |                  | ,              |  |                   |                |            |
|    | 12    | अन्य ( कृपया स्पष्ट करें )                   | ·                |                | <del>                                     </del> |                   |                |            |
|    | उप-   | कुल  |                  |                |  |                   |                |            |
| ख) | निवा  | <del>ऍ</del><br>सी                           | -                |                |  |                   |                |            |
|    | कुल   |  |                  |                |  |                   |                |            |

<sup>4</sup> और 6 एसडब्ल्यूएफ एक सरकारी निवेश माध्यम है जिसका विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों द्वारा निधीयन किया जाता है और जो विदेशी परिसंत्तियों का प्रबंधन करता है, जैसे की स्टाक्स, संपत्ति अथवा अन्य वित्तिय लिखते, जो मौद्रिक प्राधिकरणों के अधिकारिक प्रारक्षित निधियों से अलग होते हैं 5055 GI/08—4

# भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरी जानेवाली घोषणा (जों लागू न हो , उसे काटकर प्रमाणित कर दें )

## हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि -

2.

1. हम समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में यथानिर्दिष्ट विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों की निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।

निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत सेक्टोरल कैप / साविधिक सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को

पूरा करते हैं अर्थात् *(जो लागू न हो उसे काट दें)* 

क) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार है (जनवरी 12, 2005 के 2005 सिरीज के प्रेस नोट 1 में अनुबद्ध निर्धारित शर्ती का अनुपालन किया गया है)।

### अथवा

- ख) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है का भारत में उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार नहीं है।
- ग) हम लघु उद्योग इकाई नहीं हैं हैं।

### अथवा

हम लघु उद्योग इकाई हैं तथा चुकता पूंजी की 25 प्रतिशत की निवेश सीमा का अनुसरण किया है। अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं।

घ) अधिकार आधार पर अनिवासियों को मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी के विनियम 6 के प्रवधानों के अनुरूप शेयर जारी किए गए हैं।

### अधन

ङ) जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।

### अथवा

च) शेयर भारत में किसी कोर्ट द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अथवा उससे अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन और समामेलन की योजना अथवा विलयन न करके अथवा अन्य प्रकार से पुनर्निर्माण की योजना के तहत जारी किए गए हैं।

### अथवा

(छ) शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम से संबंधित शर्ते पूरी की गयी हैं।

| मारत का राजपत्र : असीधारण   |                              |
|---|------------------------------|
| 3. शेयर के एसआईए / एफआईपीबी अनुमोदन संख्या वे   | जनुसार जारी किए<br>जिल्लाहरू |
| गए हैं (जो लागू न हो उसे काट के हस्ताक्षर करें)   | 3                            |
|   |                              |
| 4. हम इसके साथ 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची   | -1 के पैराग्राफ 9(1)         |
| के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं :-   |                              |
| (i) कंपनी के सचिव द्वारा निम्नलिखित तथ्यों को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र ;  |                              |
| (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है ।   |                              |
| (ख) सरकारी अनुमोदन की सभी शर्तों , यदि कोई हों, का अनुपालन किया गया   | है ।                         |
| (ग) इन विनियमों के तहत कंपनी शेयर जारी करने के लिए पात्र है ।   | <b>.</b>                     |
| (घ) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची -1   | के पैराग्राफ 8 की            |
| अपेक्षानुसार शेयर जारी करने हेतु वसूल की गई राशि की प्राप्ति के सबूत<br>पास भारत में सभी प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी मूल प्रमाणपत्र हैं । | क तौर पर कपनी के             |
| (ii) सांविधिक/ सनदी लेखाकार से यह इंगित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि भारत से बा  | == == == ==                  |
| को जारी शेयरों की कीमत कैसे भेजी जायेगी ।   | हर रहन पाल व्याक्त           |
| नम आरा रानरा वम वमारा वमा जावा जावना ।  |                              |
| 5. शेयर / परिवर्तनीय बाँड्स आदि जारी करने के प्राप्त सभी विप्रेषणों की राशि की वर   | ्र<br>पत्नी के निए ( ऋण्य    |
| दिए गये ब्योरों के अनुसार) ,  | Tell as leid ( Osak          |
|   | •                            |
| भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित यू.आई.नंबर आर  |                              |
|   |                              |
|   |                              |
|   | •                            |
| (आवेदक का हस्ताक्षर)* :   |                              |
|   |                              |
| (नाम स्पष्ट अक्षरों में) :  |                              |
|   |                              |
| (हरताक्षरी का पदनाम) :  |                              |
|   |                              |
| स्थान :   |                              |
|   | ÷                            |
| दिनांकः   |                              |
| (*कंपनी के प्रबंध निदेश/निदेशक/सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाए)   |                              |

# निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव द्वारा भरा जानेवाला प्रमाणपत्र : 5

(मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(आ)(i) के अनुसार)

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

- 1. कंपनी अधिनियम, 1956 के सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है।
- 2. सरकारी अनुमोदन के शर्तों, यदि कोई हों. का अनुपालन किया गया है।

इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।

4. कंपनी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौजूद हैं जो भारत में श्रेणी-। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुरूप राशि की प्राप्ति का सबूत है।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर) (मुहर)

### केवल भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयोग के लिए

| एफसी-जीपीआर का यूएनआइ नंबर | जी | - |   |   |  |  |  |      |      |
|----------------------------|----|---|---|---|--|--|--|------|------|
|                            |    |   | L | ł |  |  |  | <br> | <br> |

यदि कंपनी के पास पूर्ण कालिक कंपनी सचिव नहीं हो तो, वे व्यवसायी कंपनी से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया
 जाय ।

(दिनांक 30 मई 2008 के एपी(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 44 के अनुबंध -। का भाग- आ)

# एफसी-जीपीआर

भाग-आ

i) फार्म एफसी-जीपीआर का यह भाग निदेशक, भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग, सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सी-8, तीसरी मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051 को प्रस्तुत किया जाए (टेलीफोन 26571265, 26572513) फैक्स नंबर 26570848) ई-मेल survey@rbi.org.in प्रस्तुत किया जाना है। यह एक वार्षिक विवरणी है जो कि प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को प्रत्यक्ष/पोर्टफोलियो/ पुनः निवेशित अर्जनों/ अन्य के जिरये भारतीय कंपनियों में पिछले वर्षों के दौरान ( अर्थात् भाग आ में 31 जुलाई 2007 तक किये गये निवेशों से संबंधित होगी) किये गये निवेशों से

अन्य के जिरेये भारतीय कपनियों में पिछले वर्षों के दौरान ( अथात भाग आ म 31 जुलाई 2007 तक खुर गयी जानकारी पिछले वर्ष 31 मार्च 2007 तक किये गये निवेशों से संबंधित होगी) किये गये निवेशों से संबंधित होगी। रिपोर्ट किये जाने वाले ब्योरों भें तुलनपत्र की तारीख को बकाया सभी विदेशी निवेश शामिल होंगे। कंपनी के प्रत्यक्षा पोर्टफोलियों दोनों ही समुद्रपारीय निवेशों के ब्योरे अलग से दर्शाये जायें। कृपया संकलन में मार्च के अंत की कीमतें/विनिमय दरें ही इस्तेमाल की जायें।

आयकर विभाग द्वारा निवेशक कंपनी को आबंटित स्थायी खाता (PAN) पैन सं.

|  | <br> |   |  |     |   |       |   |   | · · | ı |
|--|------|---|--|-----|---|-------|---|---|-----|---|
|  | ł I  | l |  |     |   | <br>ĺ | ì |   | 1   | Į |
|  | [    | l |  | 1   |   |       | l |   | ,   | ı |
|  |      | l |  |     |   |       | l |   |     | ı |
|  |      | l |  |     |   |       |   |   | 1 ! | ı |
|  | i    | l |  |     |   |       |   | 1 |     | ı |
|  |      |   |  | , , | 1 |       |   |   |     | ı |

| सं. |                        | ृब्योरे                                    |                   |                  |             | -            | ( र      | पष्ट र         | अक्षरों  | में) | -                 | -         |                |
|-----|------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|--------------|----------|----------------|----------|------|-------------------|-----------|----------------|
| 1.  | नाम                    |  |                   | ;                |             |              |          |                | Ī .      |      |                   |           |                |
|     |                        |  |                   |                  |             | ·            |          |                |          | ,    |                   |           |                |
|     |                        |  |                   |                  |             |              |          |                |          |      |                   |           |                |
|     |                        |  |                   |                  |             |              |          |                |          |      |                   |           |                |
|     | पता                    | \$   | ,                 |                  |             |              |          |                |          |      |                   |           |                |
|     | ,                      |  |                   | _                |             |              |          |                |          |      |                   |           |                |
|     |                        | •  | : [               |                  |             |              |          |                |          |      |                   | 4         |                |
| `.  |                        | ÷  |                   | *.               |             |              |          |                |          |      |                   | ·         |                |
|     |                        |  |                   |                  |             | <u>-</u>     |          |                |          |      |                   |           |                |
|     | राज्य                  |  | ·                 | -                |             |              |          |                |          |      |                   |           |                |
|     |                        | *  |                   |                  | ,           |              | , ··     |                |          |      |                   |           |                |
|     | कंपनी के अस्तिस्टार    | र द्वारा दिया गया पंज                      | नीकरण             |                  | .           |              |          |                |          |      |                   | . •       |                |
| ~   | सं                     | र क्षारा प्रिया गया ५०                     | 1197(3)           |                  |             | 2            |          |                |          |      |                   |           |                |
| 2.  | संपर्की का नाम :       |  |                   |                  | <b></b>     |              | <u></u>  | <u></u>        | L        |      |                   |           |                |
| ۷.  | टेलीफोन                |  |                   |                  | ई           | मेल :        |          |                |          |      |                   |           |                |
|     | फैक्स                  | 1  | •                 |                  |             |              |          | ादि क          | गेई है)  |      |                   |           |                |
| 3.  | खाता बंद करने की       | तारीख                                      |                   |                  |             |              | <u> </u> |                |          |      |                   |           | . 5            |
| 4.  | पहले प्रस्तुत सूचना    | के संबंध में यदि को                        | ई परिवर्त         | न 📗              | <del></del> | ٠            |          |                |          | -    |                   |           |                |
|     |                        | (कंपनी/ कंपनी के न                         |                   |                  |             |              |          |                |          |      |                   |           |                |
|     | कार्यकलाप, आदि र       |  |                   |                  |             |              |          |                | _        | •    |                   |           |                |
| 5.  |                        | इ अथवा गैर सूचीबद्ध                        | है ?              | ₹                | रूचीबद      | दू /गैर      | र सूची   | बद्ध है        | <u> </u> |      |                   |           |                |
| 5.1 | यदि सूचीबद्ध ,         |  |                   |                  |             |              | •        |                |          |      |                   |           |                |
|     | i)मार्च के अंत में प्र |  | ۰,                |                  |             |              |          |                |          |      |                   |           |                |
|     |                        | क्षण की तारीख को                           | प्रति शेय         | ₹                |             |              | •        |                |          |      |                   | •         |                |
|     | निवल परिसंपत्ति मू     | ल्य  |                   |                  |             |              |          |                |          |      |                   |           |                |
| 5.2 | यदि गैर सूचीबद्ध       | है तो, पिछले लेखाप                         | राक्षण व<br>—-    | স                | -           |              |          |                |          |      |                   |           |                |
|     |                        | ार निवल परिसंपत्ति मृ                      | ्ल्य              |                  |             | <del>.</del> |          |                | <u>.</u> |      |                   | ·         |                |
| 6.  | विदेशी प्रत्यक्ष निवे  | <b>श</b>                                   |                   |                  |             |              |          | <del></del>    |          |      | श ला              | क्षा क्षा | <del>7 7</del> |
|     |                        | - <del> </del>                             |                   |                  |             | 277          | जन र     | नाम            | र विदे   |      |                   |           |                |
|     |                        | भारत में विदेशी देय<br>पिछले वर्ष मार्च के |                   | n <del>d</del> T | <del></del> |              |          |                | र ।वद    |      | रस्तमा<br>नू वर्ष |           |                |
|     |                        | अंत में बकाया                              | चालू व<br>अंत में |                  |             |              |          | यम मा<br>बकाया |          |      | रूपप<br>में बट    |           | ٩/             |
|     |                        | जरा न वयगया                                | ्रात न            | 9971             | 71          |              |          |                | <u> </u> |      |                   |           |                |

7.1.2

लिखत

विनिवेश

7.2 वर्ष के

8. वित्तीय ब्युत्पन्न (नोशनल वैल्यु) 9. अन्य निवेश

मुद्रा

बाजार

दौरान

| )                              | THE GAZET           | TE OF INDIA : EXTR   | AORDINARY                | [Part II—Sec. 3(   |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 6.0 ईक्विटी पूंजी              |                     |                      |                          |                    |
| 6.1 अन्य पूंजी                 |                     |                      |                          |                    |
| 6.2 वर्ष के दौरान              |                     |                      |                          | ·                  |
| विनिवेश                        |                     |                      |                          |                    |
| 6.3 वर्ष के दौरान रोके         |                     |                      |                          |                    |
| गए अर्जन +                     |                     |                      |                          |                    |
| 7. पोर्टफोलिया और अन्य         |                     |                      |                          |                    |
| [उपर्युक्त विदेशी प्रत्यक्ष नि | ावेश के तहत उल्लिखि | व्रत से इतर बकाया नि | वेशों को यहां प्रस्तुत व |                    |
|                                |                     |                      | -                        | राशि लाख रुपये में |
|                                | भारत में विदेशी देय | ताएं*                | भारत से बाहर विदे        | शी परिसंपत्तियां## |
|                                | पिछले वर्ष मार्च के | चालू वर्ष मार्च के   | पिछले वर्ष मार्च के      |                    |
|                                | अंत में बकाया       | अंत में बकाया        | अंत में बकाया            | अंत में बकाया      |
| 7.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां       |                     |                      |                          |                    |
| 7.1 ऋण प्रतिभूतियां            |                     |                      |                          |                    |
| 7.1.1 बॉड और नोट               |                     |                      |                          |                    |

9.1 व्यापार ऋण 9.1.1 अल्पावधि 9.1.2 दीर्घावधि नीचे नोट<sup>®</sup> देखें 9.2 ऋण 9.3 अन्य 9.3.1 अल्पावधि 9.3.2 दीर्घावधि + प्रतिधारीत अर्जनी ( अबितरित लाभ ) के लिये बिदेशी देयताओं के तहत कृपया अनिवासी निवेशकों ( प्रत्यक्ष

- निवेशकों । कि शेयर धारिता के अनुसार आनुपातिक राशि प्रस्तुत करें । इसी प्रकार, भारत से बाहर की विदेशी परिसंपत्तियों के तहत, आपकी कंपनी के प्रतिधारित अर्जन अनिवासी उद्यम में साधारण शेयरों की आपकी शेयर धारिता के अनुपात में होंगे ।
- @ जिस वित्तिय वर्ष के लिये विवरणी प्रय्तुत की जा रही है, उस वर्ष दौरान आपकी कंपनी द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियाँ की संख्या बतायें। "प्रत्यक्ष" के तहत आपकी कंपनी की पंजी पर के व्यक्तियों की संख्या बतायें, जब कि "अप्रत्यक्ष" के तहत वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा अन्यथा कार्यपर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या बताये ।

| 10.   | मार्च अंत मे    | शेयरधारिता पैटर्न                   |  | -                               |               |  | ·                               |             |  |
|-------|-----------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|---------------|--|---------------------------------|-------------|--|
|       | -               |                                     | ईक्विटी                                      |                                 |               | अनिवार्यतया परिवर्तनीय<br>अधिमान शेयर/ डिवेंचर   |                                 |             |  |
| निवेश | यक् श्रेणी/ि    | नवेशक संस्था का स्वरूप              | शेयरों की<br>सं.                             | राशि<br>(अंकित<br>मूल्य)<br>रु. | %             | शेयरों<br>की सं.                                 | राशि<br>(अंकित<br>मूल्य)<br>रु. | %           |  |
| क)    | अनिवार          | ì                                   | <u>.                                    </u> |                                 | L             |  |                                 | <u> </u>    |  |
|       | 01              | व्यक्ति                             | <u> </u>                                     |                                 |               | <u> </u>   |                                 |             |  |
|       | 02              | कंपनियां                            |  |                                 |               |  |                                 |             |  |
|       | 03              | विदेशी संस्थागत निवेशक              |  |                                 |               |  |                                 |             |  |
|       | 04              | विदेशी जोखिम पूंजी निवेश            |  |                                 | - <del></del> |  |                                 | <u> </u>    |  |
|       | 05              | विदेशी ट्रस्ट                       |  | :                               | <del></del>   | ,  | <del> </del>                    | <u> </u>    |  |
|       | 06              | प्राइवेट ईक्विटी फंड                |  |                                 | 17-3          | <del>                                     </del> |                                 | <del></del> |  |
|       | 07              | पेंशन/ भविष्य निधि                  |  |                                 | -             |  |                                 |             |  |
|       | 08              | एसडब्ल्यू एफ                        |  |                                 |               |  |                                 |             |  |
|       | 09              | साझेदारी/ प्रोप्राइटरशिप फर्म       | ١  |                                 | <del></del>   |  |                                 | · .         |  |
|       | 10              | वित्तीय संस्थाएं                    |  |                                 |               |  |                                 |             |  |
|       | 11              | अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल          |  | 1 - 61                          | <u> </u>      |  |                                 | <del></del> |  |
|       |                 | के व्यक्ति                          |  |                                 | -<br>         | ļ  |                                 |             |  |
|       | 12.             | अन्य ( कृपया स्पष्ट करें)           |  |                                 | <del></del>   |  |                                 |             |  |
|       | उप-कुल          |                                     |  |                                 | •             | -  |                                 | -           |  |
| ख)    | <b>कुल</b> निवा | सी                                  |  |                                 | · · · · · ·   |  |                                 |             |  |
| 11.   |                 | nे समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निय | गोजित व्यक्ति                                |                                 |               | <u> </u>   | ·                               |             |  |
|       | ङ्गत्यक्ष र     | 1                                   |  | :                               |               |  |                                 |             |  |
|       | अप्रत्यक्ष र    | ज़प से                              |  |                                 |               |  |                                 |             |  |
|       | - कुल           |                                     |  |                                 |               | -  |                                 |             |  |

| (आवेदक का हस्ताक्षर)*               | :          | <u></u> |             |       |       |  |  |  |   |
|-------------------------------------|------------|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|---|
| (नाम स्पष्ट अक्षरों में)            | :          | e       | •           |       |       |  |  |  | * |
| (हरताक्षरी का पदनाम)                | :          | -       | •           |       |       |  |  |  |   |
| स्थान :                             |            |         |             |       |       |  |  |  | ٠ |
| दिनांकः<br>(*कंपनी के प्राधिकृत अधि | कारी द्वार | । हरन   | ताक्षर र्वि | केए र | नाएं) |  |  |  |   |

# कृपया अनिवासी निवेशकों (प्रत्यक्ष निवेशकों) के, जिसकी रिपोर्टिंग की तारीख को आपकी कंपनी के सामान्य शेयरों के 10 प्रतिशत या उससे अधिक की धारिता है, शेष निवेशों को प्रस्तुत करें।
## कृपया देश के बाहर के अपने कुल निवेश प्रस्तुत करें जिसमें रिपोर्टिंग की तारीख को आपकी कंपनी अनिवासी भारतीय उद्यम के 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक के सामान्य शेयर की धारक है।

े अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक और निवेशिती। रिपोर्टिंग कंपनी के बीच अन्य पूंजीगत लेनदेनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) समुद्रपारीय निवेशकों से अल्पावधि उधार, (ii) समुद्रपारीय निवेशकों से दीर्घावधि उधार, (iii) व्यापार ऋण, (iv) आपूर्तिकर्ता ऋण, (v) वित्तीय लीजिंग, (vi) नियंत्रण प्रीमियम, (vii) शेयरों को शामिल नहीं करनेवाले मामलों में गैर-स्पर्धा शुल्क, (viii) तकनीकी अंतरण, संयंत्र और मशीनरी, गुडविल, कारोबार विकास और इसी प्रकार के प्रयोजनों के एवज में शेयरों का गैर-नकदी अधिग्रहण और (ix) वर्ष के दौरान अचल संपत्ति में किए गए निवेश।

<sup>®</sup> नोट: चूंकि आपकी कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के ब्योरे बाह्य वाणिज्यिक उधार विवरणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अलग से प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, आपकी कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य ऋणों के ब्योरों को भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भारत के बाहर पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम को आपकी कंपनी द्वारा दिए गए बाह्य ऋणों की' भारत के बाहर विदेशी परिसंपत्तियां ' के अंतर्गत रिपोर्टिंग की जाए।

अनुबंध-9

|   |  | <del></del>    | फार्म प                    | फसी-टीआरएस                   |          |                         |                          |  |
|---|--|----------------|----------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
|   |  | निवासी         | से अनिवासी को/             | अनिवासी से निवा              | सी व     | <b>को बिक्री द्वारा</b> |                          |  |
|   |  |                |                            | तरण के बारे में घो           |          |                         |                          |  |
|   |  | <del></del>    |                            | धेकृत व्यापारी शाख           |          |                         |                          |  |
|   | निम्नलि  | खित दस्तावेज   | संलग्नक किए गए             | हैं (संलग्नक के पै           | रा 5     | देखें)                  | ·                        |  |
|   | भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री के लिए                                   |                |                            |                              |          |                         |                          |  |
|   | (i) विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा |                |                            |                              |          |                         | मित पत्र तथा             |  |
| ; | बादवाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज  |                |                            |                              |          |                         |                          |  |
|   | (ii) भारत के बाहर निवासी व्यक्तिन्द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी के     |                |                            |                              |          |                         |                          |  |
|   | शेयरधारिता का स्वरूप   |                |                            |                              |          |                         |                          |  |
|   | (iii)  |                |                            | उचित मूल्य दर्शाते           | ~        |                         |                          |  |
|   | (iv)   |                | •                          | या हो तो ब्रोकर के           |          |                         |                          |  |
| • | (v)  |                |                            |                              |          |                         | ते के अधीन शेयर <b>।</b> |  |
|   |  |                | _                          |                              | गैर      | वर्तमान सेक्टोरल        | सीमाओं और मूल्य          |  |
|   |  |                | नेदेशों का पालन वि         | *                            |          |                         | 4                        |  |
|   | (vi)   |                |                            |                              |          |                         | सेबी द्वारा निधिरित      |  |
|   |  | =              |                            | उप खाता सीमा क               |          |                         | गया है।                  |  |
|   | भारत के  |                | -•                         | की <b>बि</b> क्री से संबंधित |          |                         |                          |  |
|   | (vii)  |                |                            | Ÿ                            |          |                         | प्रत्यावर्तनीय/ गैर-     |  |
|   |  |                |                            | रा धारित शेयरों वे           | रु स्त्र | बूत के तौर पर भा        | रतीय रिज़र्व बैंक के     |  |
|   |  | अनुमोदन की प्र |                            |                              |          |                         |                          |  |
|   | (viii)   |                | गरी/ सनदी लेखाव            | गर से आपत्ति नहीं            | / क      | र देय नहीं प्रमाणप      | র                        |  |
| 1 | कंपनी व  |                |                            | E.                           |          |                         |                          |  |
|   | L  |                | नं., <b>फैक्स सं.</b> सहित | 1)                           |          |                         |                          |  |
|   | कार्यकर  | राप            |                            | <u> </u>                     |          |                         |                          |  |

|   | एनआइसी कूट सं.                 | <u> </u>                              | T T                                   |  |               |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
|   | एगजाइसा यूट स.                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |               |
| 2 | क्या स्वतःअनुमोदित मा          | <br>र्मके बद्ध विकेशी।                | । साथ चित्रेषा असास                   |  |               |
| 2 | े है ?                         | ग क तहत ।पपरा। ३                      | व्यक्त । गपरा अगुनरा                  |  |               |
|   | • · .                          | <u> </u>                              |                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |               |
|   | विदेशी प्रत्यक्ष निवेश र्न     | ॥त क तहतःक्षत्राय                     |                                       |  | `             |
|   | सीमा                           |                                       |                                       | •  |               |
|   |                                |                                       |                                       |  |               |
| 3 | लेनदेन का स्वरूप               |                                       |                                       |  | ·             |
|   | निवासी से अनिवासी के           |                                       |                                       |  | <u> </u>      |
|   | अनिवासी से निवासी क            | अतरण                                  |                                       |  |               |
|   |                                |                                       |                                       |  |               |
| 4 | क्रेता का नाम                  |                                       |                                       |  |               |
|   |                                | ·                                     |                                       |  |               |
|   | श्रेणी                         |                                       |                                       |  |               |
| 1 | (कृपया उपयुक्त श्रेणी          |                                       |                                       | विदेशी संस्थागत  |               |
|   | पर टिक करें)                   | व्यक्ति                               | कंपनी                                 | निवेशक   | अन्य          |
|   | कंपनी/विदेशी                   |                                       |                                       |  | L             |
|   | संस्थागत निवेशक,               |                                       |                                       |  |               |
|   | आदि के मामले में               |                                       |                                       |  | •             |
|   | कृपया कंपनी का गठन             | , 4.                                  | •                                     | :  | •             |
|   | अर्थात् लिमिटेड                |                                       |                                       |  |               |
|   | कंपनी, पंजीकृत                 |                                       |                                       | # <sup>1</sup>   |               |
|   | कपना, पंजाकृत<br>साझेदारी आदि, |                                       | ٠.                                    |  | 4.            |
|   |                                |                                       |                                       | the state of the s |               |
|   | सूचित करें<br>निगमन की तारीख   |                                       |                                       | <u></u>  |               |
|   | ानगमन का ताराख<br>और स्थान     |                                       |                                       |  | •             |
|   | क्रेता का पता (ई-मेल, टे       | ्रीपदेश सं के स्मास                   | रं गटिन।                              | ·  |               |
|   | क्रता का पता (इन्मल, ट         | लाकान स., क्यस र<br>                  | i. (116(1)<br>I                       | T  |               |
|   | A                              |                                       |                                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |               |
| 5 | विक्रेता का नाम                |                                       |                                       |  |               |
|   |                                | :'                                    |                                       |  |               |
|   | श्रेणी                         |                                       |                                       |  | ļ `·          |
|   | (कृपया उपयुक्त श्रेणी          |                                       |                                       | विदेशी संस्थागत  | अन्य (कृपया   |
|   | पर टिक करें)                   | व्यक्ति                               | कंपनी                                 | निवेशक   | उल्लेख कैरें) |
|   | कंपनी/विदेशी                   | <b>₹</b> *                            |                                       |  |               |
|   | संस्थागत निवेशक,               |                                       |                                       |  | •             |
|   | आदि के मामले में               |                                       | ·                                     |  |               |
|   | कृपया कंपनी का गठन             |                                       |                                       |  |               |
|   | अर्थात् लिमिटेड                |                                       |                                       |  |               |
| j | कंपनी, पंजीकृत                 |                                       |                                       |  |               |
|   | साझेदारी आदि,                  |                                       |                                       |  |               |
|   | सूचित करें                     | -                                     |                                       |  |               |
|   | निगमन की तारीख                 |                                       |                                       |  | 94.           |
| ! |                                | i '                                   | I                                     | 1 .  |               |
|   | और स्थान                       |                                       |                                       |  |               |

| F |   | A-14-(A-1               |                       |                       |  |              |
|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| 1 | ٥ | पिछले रिजर्व बैंक। विदे | रा। निवश संवधन बार    | इ अनुमादन क ब्यार<br> |  |              |
| L |   |                         |                       |                       |  |              |
|   | 7 | अंतरण किए जानेवाले इ    | गैयरों/परिवर्तनीय डिब | चिरों के ब्योरे       | <u>.                                    </u> |              |
|   |   |                         |                       |                       | अंतरण के लिए                                 |              |
| l |   |                         |                       |                       | समझौता किए                                   |              |
| L |   | लेनदेन की तारीख         | शेयरों की संख्या      | अंकित मूल्य           | गए मूल्य**                                   | प्रतिफल राशि |
|   |   |                         |                       | -                     |  |              |

| कंपनी में विदेशी निवेश       | <del></del>  | <u> </u>  |  |  |
|------------------------------|--|---|--|--|
|                              | शेयरों की संख्या   | प्रतिशत   |  | · ·  |
| अंतरण से पहले                |  |   |  |  |
| अंतरण के बाद                 |  |   |  |  |
| क्या शेयर स्टॉक एक्सचें      | ज में सचीबद्ध है ?   |   |  |  |
| अगर हां तो स्टॉक एक्सचे      | रेंज का नाम  |   |  | <del></del>  |
|                              |  |   |  |  |
| क्या शेयर असूचीबद्ध हैं      | ?  |   |  |  |
| मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी रि | मद्धांतों के अनुसार  | <br>कीमत*   | ·  |  |
|                              |  |   |  |  |
|                              |  | अनुसार कीमत   | <u>.</u>   |  |
| सनदी लेखाकार का प्रमा        | णपत्र जोड़ा जाए  |   |  | -  |
|                              | अंतरण से पहले अंतरण के बाद  क्या शेयर स्टॉक एक्सचें अगर हां तो स्टॉक एक्सचें स्टॉक एक्सचेंज में कोट क्या शेयर असूचीबद्ध हैं मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी रि | शेयरों की संख्या<br>अंतरण से पहले<br>अंतरण के बाद<br>व्या शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है?<br>अगर हां तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम<br>स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत<br>क्या शेयर असूचीबद्ध हैं?<br>मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार | शेयरों की संख्या प्रतिशत अंतरण से पहले अंतरण के बाद  क्या शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है ? अगर हां तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत क्या शेयर असूचीबद्ध है ?  मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कीमत*  सनदी लेखाकार के मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत | शेयरों की संख्या प्रतिशत अंतरण से पहले अंतरण के बाद  क्या शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है ? अगर हां तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत क्या शेयर असूचीबद्ध है ?  मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कीमत*  सनदी लेखाकार के मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत |

### अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणा

# मैं/हम एतद्द्वारा घोषित करता हुं/ करते हैं कि :

- (i) ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे/ हमारी जानकारी तथा विश्वास में सत्य और सही है
- (ii) मैं/हम फेरा/फेमा विनियमावली के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयरों को धारित करता था/ करते थे
- (iii) मैं/हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत कंपनी के शेयर के अधिग्रहण के लिए पात्र हूं/हैं। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, में कार्यरत कंपनी के शेयरों से संबंधित अंतरण नहीं है।
- (iv) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन सेक्टोरल सीमाओं का पालन किया गया है।

| घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत |
|-----------------------------|
| <b>प्राधिकृ</b> त एजेंट का  |
|                             |

दिनांक :

हस्ताक्षर

# टिप्पणी

निवासी से अनिवासी को शेयरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो

अनिवासी से निवासी को शेयरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है। लेनदेन के लिए प्राप्ति/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिजर्व बैंक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार है।

हरताक्षर

|          |   |                                       | अधिकारी का नाम और पदनाम   |
|----------|---|---------------------------------------|---|
|          |   |                                       | जावपारा या गान जार नव्यान   |
| Δ        | <u> </u>  |                                       |   |
| दिनांक   |   |                                       | प्राधिकृत व्यापारी  |
| शाखा     | का नाम  |                                       |   |
|          |   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |
| ····,    |   |                                       | प्राधिकृत व्यापारी कूट  |
| <u>্</u> | ोडीआर/एडीआर के निर्गम का प्रबंध करनेवाली भारती    |                                       |   |
|          | [ फार्म डी आर अनुसूची 1 का                        | पैराग्राफ 4(2) देख                    | <b>剪</b> ]  |
|          |   | · .                                   |   |
| सूचना    | ः इस फार्म को पूर्ण किया जाए तथा भारतीय रिजर्व है | iक, विदेशी निवेश                      | रा प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई  |
| को प्रर  | तुत किया जाए।                                     |                                       | • <u>-</u>  |
|          |   |                                       |   |
| 1.       | कंपनी का नाम                                      |                                       |   |
| 2.       | पंजीकृत कार्यालय का पता                           |                                       |   |
| 3.       | पत्राचार के लिए पता                               |                                       |   |
| 4.       | वर्तमान कारोबार (उस कार्यकलाप का एनआइसी           |                                       |   |
|          | कूट दें जिसमें कंपनी मुख्य रूप से कार्यरत है )    | -                                     |   |
| 5.       | जीडीआर/एडीआर उगाहने के प्रयोजन के ब्योरे।         |                                       | t in the second |
|          | यदि निधियां समुद्रपारीय निवेश के लिए उपयोग की     |                                       |   |
|          | गई हों, तो उसके ब्योरे                            |                                       |   |
| 6.       | विदेश के डिपाजिटरी का नाम और पता                  |                                       |   |
| 7.       | अग्रणी/ प्रबंधक निवेश/ मर्चेंट बैंकर का नाम और    |                                       |   |
|          | पता   | ,                                     |   |
| 8.       | निर्गम के उप-प्रबंधकों के नाम और पते              | <del></del>                           |   |
| 9.       | भारतीय अभिरक्षकों के नाम और पते                   |                                       |   |
| 10.      | विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के ब्योरे   |                                       |   |
| 10.      | (अगर जीडीआर स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत जारी      |                                       |   |
|          | किए जाते हैं तो संबद्ध एनआइसी कूट कोट करें)       | -                                     |   |
| 11.      | क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र क्षेत्रीय सीमा |                                       |   |
| 11.      | लागू है ? अगर हां, तो कृपया ब्योरे दें            |                                       | •   |
|          | लानू व १ जनर रुद्ध सान्यून्त्रया ब्यार प          | <u> </u>                              |   |

| 12.         | इंक्विट                         | ी पूंजी के ब्योरे                                | निर्गम से पहले                    | निर्गम के बाद        |  |  |  |  |
|-------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|--|--|
|             | क)                              | प्राधिकृत पूंजी                                  |                                   |                      |  |  |  |  |
|             | ख)                              | निर्गमित तथा प्रदत्त पूंजी                       |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | i) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित       |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों/ अनिवार्स           |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों                |                                   |                      |  |  |  |  |
| 1           |                                 | समुद्रपारीय निगमित निकायों से इत                 | [  -                              |                      |  |  |  |  |
| ,           |                                 | विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त            | r                                 |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक धारित                | r                                 |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | करनेवाले विदेशी निवेशकों की सूर्व                | 1                                 |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | तथा उनमें प्रत्येक द्वारा धारित शेयर             | †                                 |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | की संख्या प्रस्तुत किया जाए)                     |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | iii) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल वे              |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | व्यक्तियों/ विदेशी कंपनी निकाय                   | i                                 |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | द्वारा धारित                                     |                                   |                      |  |  |  |  |
|             | <del></del>                     | iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वार               |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | धारित  |                                   |                      |  |  |  |  |
|             | ग)                              | कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित    | T .                               |                      |  |  |  |  |
|             | 1 .                             | कुल ईक्विटी का प्रतिशत                           |                                   |                      |  |  |  |  |
| 13.         | क्या वि                         | नर्गम निजी व्यवस्था आधार पर था? अगर हा           |                                   |                      |  |  |  |  |
| ,           |                                 | नवे <mark>शकों तथा प्रत्येक को जारी एडीआर</mark> | II                                |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | आर के ब्योरे दें                                 |                                   |                      |  |  |  |  |
| 14.         | जारी                            | जीडीआर/एडीआर की संख्या                           |                                   |                      |  |  |  |  |
| 15.         |                                 | आर/एडीआर पर अंडरलाइंग शेयरों का                  |                                   |                      |  |  |  |  |
|             | अनुपा                           |  |                                   | -                    |  |  |  |  |
| 16.         |                                 | से संबंधित खर्चे                                 |                                   |                      |  |  |  |  |
| <u> </u>    | (क)                             | मर्चेंट बैंकरों/अग्रणी प्रबंधक को अदा की गई      |                                   |                      |  |  |  |  |
|             | ' '                             | देय शुल्क  |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | (i) राशि (अमरीकी डॉलर, आदि में)                  |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | (ii) कुल निर्गम के प्रतिशत के तौर प              | τ .                               |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | राशि   |                                   | . :                  |  |  |  |  |
|             | (ख)                             | अन्य खर्चे                                       |                                   |                      |  |  |  |  |
| 17.         |                                 | निधियां विदेश में रखी गई हैं ? अगर हां, तो बैंव  | 5                                 |                      |  |  |  |  |
|             | 1                               | ाम.और पता  |                                   |                      |  |  |  |  |
| 18.         | 1                               | द्ध करने की व्यवस्था के ब्योरे                   |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | एक्सचेंज का नाम                                  |                                   |                      |  |  |  |  |
|             |                                 | । शुरू करने की तारीख                             |                                   |                      |  |  |  |  |
| 19.         |                                 | ार/ जीडीआर निर्गम आरंभ करने की तारीख             |                                   |                      |  |  |  |  |
| 20.         | उगाही गई राशि (अमरीकी डॉलर में) |  |                                   |                      |  |  |  |  |
| 21.         |                                 | वर्तित राशि (अमरीकी डॉलर में)                    |                                   |                      |  |  |  |  |
| <del></del> | 1                               |  | <u> </u>                          |                      |  |  |  |  |
| प्रमाधि     | णेत किय                         | ा जाता है कि भारत सरकार तथा भारतीय रिज           | र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्ती व | का पालन किया गया है। |  |  |  |  |
| ਵ./-        |                                 |  | 5./-                              |                      |  |  |  |  |
| 1 -         | ी लेखाव                         | ** '   | <br>हंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी |                      |  |  |  |  |
|             |                                 |  | <u> </u>                          |                      |  |  |  |  |

# अनुबंध -12

|   | तिमाही विवर्णी  |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
|   | [ अनुसूची 1 का पैराग्राफ 4(3) देखें]फार्म डीआर तिमाही |   |  |  |  |  |  |
|   | (भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्री   | य कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए) |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
| 1.  | कंपनी का नाम  |   |  |  |  |  |  |
| 2.  | पता   |   |  |  |  |  |  |
| 3.  | जीडीआर/एडीआर निर्गम प्रारंभ करने की तारीख             |   |  |  |  |  |  |
| 4.  | जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल सं.                   |   |  |  |  |  |  |
| 5.  | 5. उगाही गई कुल राशि                                  |   |  |  |  |  |  |
| 6.  | 6. तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज                  |   |  |  |  |  |  |
| 7.  | '. निर्गम के खर्चे और कमीशन आदि                       |   |  |  |  |  |  |
| 8.  | . प्रत्यावर्तित राशि                                  |   |  |  |  |  |  |
| 9.  | विदेश में रखी गई शेष - ब्योरे                         |   |  |  |  |  |  |
|   | (i) बैंक जमा राशियां                                  |   |  |  |  |  |  |
|   | (ii) खजाना बिल  | ,                                       |  |  |  |  |  |
|   | (iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें)                        |   |  |  |  |  |  |
| 10.   | अब तक बकाया जीडीआर की संख्या                          |   |  |  |  |  |  |
| 11.   | तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर की कीमत               |   |  |  |  |  |  |
| 12.   | तिमाही के अंत में समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंज में      |   |  |  |  |  |  |
|   | कोट की गई जीडीआर की कीमत                              |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
| प्रमाणित किया जाता है कि एडीआर/जीडीआर द्वारा उगाही गई निधियों को स्टॉक बाज़ार अथवा भूमि भवन में |   |   |  |  |  |  |  |
| निवेश नहीं किया गया हैं।  |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
| <i>ਵੋ.</i> /-   |   | <i>≅./-</i>                             |  |  |  |  |  |
| सनदी र  | लेखाकार   | कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी           |  |  |  |  |  |

#### RESERVE BANK OF INDIA

## (Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 22nd August, 2008

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2008

G.S.R. 896(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

#### 1. Short Title & Commencement:-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) (Second Amendment) Regulations, 2008.
- (ii) Save as otherwise provided in these Regulations, the provisions of these Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of Regulation 2 In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May, 2000) (hereinafter referred to as 'the principal Regulations'), in Regulation 2,
  - (A) for clause (ii), the following clause shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of May 2007, namely:-
    - "(ii) 'Capital' means equity shares, preference shares and convertible debentures

- (B) after clause (iia), the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1<sup>st</sup> day of May 2007, namely:-
  - "(iib) "preference shares" mean compulsorily and mandatorily convertible preference shares."
- (C) after clause (iib) as so inserted, the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 8<sup>th</sup> day of June, 2007, namely:-
- "(iic) "debenture" means compulsorily and mandatorily convertible debenture"

## 3. Amendment of Regulation 5

In the principal Regulations, in Regulation 5, for sub-regulation 6 the following new sub-regulation shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 31<sup>st</sup> day of December 2007, namely;

"6. A registered Foreign Institutional Investor (FII) having valid approval under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 or under the Foreign Exchange Management Act, 1999 may trade in all exchange traded derivative contracts approved by RBI/SEBI subject to the limits and margin requirement prescribed by RBI/SEBI as well as the stipulations regarding collateral securities as directed by the Reserve Bank from time to time".

# 4. Amendment of Regulation 6B

In the principal Regulations, for Regulation 6B, the following shall be substituted, namely:-

"6B. A company issuing rights shares or bonus shares in terms of these Regulations shall report to the Reserve Bank in form FC-GPR as stipulated in Paragraph 9 (1)(B) of Schedule 1 to these Regulations."

## 5. Amendment of Regulation 10

In the principal Regulations, in Regulation 10, in sub-Regulation A, after clause (b), before the Explanation, the following new clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from 10<sup>th</sup> day of February, 2006, namely:-

- "(c) any security by way of sale, shall make an application to the Reserve Bank for its approval if,
  - (i) the activity of the Indian company, whose securities are being transferred, falls outside the Automatic Route, and the approval of the FIPB has been obtained for the said transfer;
  - (ii) the activity of the Indian company whose securities are being transferred, falls under the financial services sector;
  - (iii) the transfer falls within the purview of the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 1997; and
  - (iv) the transfer is to take place at a price which falls outside the pricing guidelines specified by Reserve Bank, from time to time."

#### 6. Amendment of Schedule 1

In the principal Regulations, in Schedule 1,

- i) in paragraph 1,
  - (a) for sub-paragraph (2), the following shall be substituted, namely:-
    - "(2) If the person purchasing the shares under this Scheme proposes to be a collaborator or proposes to acquire the entire shareholding of a new Indian company, he should obtain prior permission of Central Government if he has, as on January 12, 2005, an existing joint venture or technology transfer/trademark agreement in the same field as that of such Indian company."

(b) after sub-paragraph (2), the following provisos shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 12<sup>th</sup> day of January 2005 <sup>1</sup>, namely:

"Provided that no prior permission of Central Government shall be required for investments to be made by Venture Capital Funds registered with SEBI; investments by multinational financial institutions; or where in the existing joint-venture investment by either of the parties is less than 3%; or where the existing joint venture/collaboration is defunct or sick or for transfer of shares of an Indian company engaged in Information Technology sector or in the mining sector, if the existing joint venture or technology transfer/trade mark agreement of the person to whom the shares are to be transferred are also in the Information Technology sector or in the mining sector for same area/mineral".

- ii) in paragraph 2, for sub-paragraph (1) the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 10<sup>th</sup> day of February 2006, namely:
  - "(1) An Indian company, not engaged in any activity/sector mentioned in Annex A to this schedule, may issue shares or convertible debentures to a person resident outside India, subject to the limits prescribed in Annex B to this schedule, in accordance with the Entry Routes specified therein and the provisions of Foreign Direct Investment Policy, as notified by the Ministry of Commerce & Industry, Government of India, from time to time.

Provided that the shares or convertible debentures are not being issued by the Indian company with a view to acquire existing shares of any Indian company.

Explanation: A company which proposes to embark on expansion programme to undertake activities or manufacture items included in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> This Regulation is given retrospective effect from 12<sup>th</sup> day of January, 2005, that is, from the date on which Press Note No. 1 (2005 Series) was issued by Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

Annex B to this Schedule may issue shares or debentures out of fresh capital proposed to be issued by it for the purpose of financing expansion programme, up to the extent indicated in Annex B, subject to compliance with the provisions of this paragraph."<sup>2</sup>

- iii) in paragraph 2, sub-paragraph (2) shall be omitted.
- iv) in paragraph 2, sub-paragraphs (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-paragraphs (2), (3) and (4) respectively.
- v) for paragraph 3, the following shall be substituted, namely:-
  - "3. Issue of shares by a company requiring the Government approval

An Indian company intending to issue shares to a person resident outside India in accordance with these Regulations shall obtain prior approval of the Foreign Investment Promotion Board of Government of India if the company;

- (a) is engaged or proposes to engage, in any activity given in Annex A(A) to this schedule; or
- (b) falls under the FIPB route as stipulated under the column "Entry Route" in Annex B to this schedule; or
- (c) proposes to issue shares to a person resident outside India against considerations other than inward remittance i.e. against royalty/ lumpsum fee due for payment; or
- (d) proposes to issue shares to a person resident outside India, on or after 28<sup>th</sup> day of November 2003, against External Commercial Borrowings(ECBs){excluding those deemed as ECBs} received in convertible foreign currency.<sup>3</sup>
- vi) in paragraph 4,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> This amendment is given retrospective effect from 10<sup>th</sup> day of February, 2006, that is, from the date on which Press Note No. 4 (2006 Series) was issued by Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> This amendment is given retrospective effect from 29<sup>th</sup> day of November 2003, that is, from the date on which Press Note 5(2003) was issued by Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

- in sub-paragraph (2), for the words "form specified in Annexure
   C". the words "Form DR" shall be substituted.
- ii. in sub-paragraph (3), for the words "form specified in Annexure D", the words "Form DR-Quarterly" shall be substituted.
- vii) for paragraph 4B, the following new paragraph shall be substituted, namely:

"4B. An Indian company may sponsor an issue of ADRs/GDRs with an overseas depository against shares held by its shareholders at a price to be determined under the provisions of the Scheme for Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 and guidelines issued by the Government of India and the reporting requirements as directed by Reserve Bank, from time to time."

- viii) paragraph 5A shall be omitted
- ix) for paragraph 6, the following new paragraph shall be substituted, namely:-

#### "6. Issue price of ADRs/ GDRs

The pricing of ADRs/GDRs to be issued to a person resident outside India shall be determined under the provisions of the Scheme for Issue of Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 and guidelines issued by the Government of India from time to time."

- x) in paragraph 9,
  - (i) in sub-paragraph (1),
    - (a) in clause (A), for the word "report", the words "report in form specified in Annex C to this schedule" shall be substituted
    - (b) in clause (B), for sub. clause (d), for the words and figure "In accordance with paragraph 9", the words and figure "in accordance with paragraph 8" shall be substituted.
  - (ii) after clause (B), at the end, the following new clause (C), shall be inserted, namely;-

- "C) the amount of consideration received by Indian company as advance against equity shall be reported to the Regional Office of the Reserve Bank under whose jurisdiction the Registered Office of the Company operates in the form specified in "Annex C" within 30 days of receipt thereof."
- xi) for Annexure A and Annexure B, "Annex A" and 'Annex B' respectively to these regulations shall be substituted.
- xii) Annexure C and Annexure D shall be renamed as "Form DR" and "Form DR-Quarterly", respectively.
- xiii) Annexure E shall be omitted.
- xiv) for 'Form FC-GPR', "Annex D" to these regulations shall be substituted.

#### 7. Amendment of Schedule 4

In the principal Regulations, in Schedule 4, in paragraph 2, for the provisos, the followings provisos shall be substituted, namely:-

"Provided that the person to whom the shares are being transferred, shall obtain prior permission of the Central Government to acquire the shares if he has, as on 12<sup>th</sup> day of January 2005, an existing joint venture or technology transfer/trademark agreement in the same field as that of the company of which the shares or convertible debentures to be acquired by him.

Provided further that no prior permission of Central Government shall be required for:

- (a) transfer of shares to multinational financial institutions such as
  Asian Development Bank (ADB), International Finance
  Corporation (IFC), Commonwealth Development Corporation
  (CDC), Deutsche Entwicklungs Gescelsschaft (DEG).
- (b) transfer of shares of an Indian company engaged in Information Technology sector or in the mining sector, if the existing joint venture or technology transfer/trade mark agreement of the

person to whom the shares are to be transferred are also in the Information Technology sector or in the mining sector for same area/mineral.

(c) investments to be made by Venture Capital Funds registered with SEBI; investments by multinational financial institutions or where in the existing joint-venture investment by either of the parties is less than 3%; or where the existing joint venture/ collaboration is defunct or sick."

#### 8. Amendments of Schedule 5

In the principal Regulations, in Schedule'5,

(i) for paragraph 1, the following new paragraph shall be substituted, namely:-

# "1. Permission to Foreign Institutional Investors for purchase of securities -

A registered Foreign Institutional Investor may purchase, on repatriation basis, dated Government securities/treasury bills, listed non-convertible debentures/bonds, commercial papers issued by an Indian company and units of domestic mutual funds, Security Receipts issued by Asset Reconstruction Companies and Perpetual Debt instruments eligible for inclusion as Tier I capital and Debt capital instruments as upper Tier II capital issued by banks in India to augment their capital (the definitions of Tier I capital and Tier II capital will be the same as clarified by Reserve Bank, Department of Banking Operations and Development and modified from time to time); subject to the limits prescribed by RBI and SEBI from time to time; either directly from the issuer of such securities or through a registered stock broker on a recognised Stock Exchange in India:

#### Provided that:

the FII shall restrict allocation of its total investment between equity and debt instruments (including dated Government Securities and Treasury Bills in the Indian capital market) in the ratio of 70:30:

- ii) if the FII desires to invest up to 100 per cent in dated Government Securities including Treasury Bills, listed non-convertible debentures/ bonds issued by an Indian company, it shall form a 100% debt fund and get such fund registered with SEBI;
- The total holding by a single FII in each tranche of scheme of Security Receipts shall not exceed 10 per cent of the issue and the total holdings of all FIIs put together shall not exceed 49 percent of the paid up value of each tranche of scheme of Security Receipts issued by the Asset Reconstruction Companies; and
- iv) The investment by all FIIs in Perpetual Debt instruments (Tier I) should not exceed an aggregate ceiling of 49 per cent of each issue, and investment by individual FII should not exceed the limit of 10 per cent of each issue. The investment by FIIs in Debt capital instruments (Tier II) shall be within the limits stipulated by SEBI for FII investment in corporate debt.

Provided further that FIIs may offer such securities as permitted by the Reserve Bank from time to time as collateral to the recognized Stock Exchanges in India for their transactions in exchange traded derivative contracts as specified in sub-Regulation 6."

- (ii) in paragraph 2, for sub-paragraph (1) the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 25<sup>th</sup> day of January 2006, namely:-
  - "1A. A Non-resident Indian may, without limit, purchase on repatriation basis,
    - i) Government dated securities (other than bearer securities) or treasury bills or units of domestic mutual funds;
    - ii) bonds issued by a public sector undertaking (PSU) in India;
    - iii) shares in Public Sector Enterprises being disinvested by the Government of India, provided the purchase is in accordance

with the terms and conditions stipulated in the notice inviting bids.

1B. A Non-resident Indian may purchase on repatriation basis perpetual debt instruments eligible for inclusion as Tier I capital and Debt capital instruments as upper Tier II capital issued by banks in India to augment their capital, as stipulated by Reserve Bank from time to time. The investments by all NRIs in Perpetual Debt instruments (Tier I) should not exceed an aggregate ceiling of 24 per cent of each issue and investments by a single NRI should not exceed 5 percent of each issue. Investment by NRIs in Debt capital instruments (Tier II) shall be in accordance with the extant policy for investment by NRIs in other debt instruments. "

[No. FEMA 179/2008-RB] SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R.No. 406 (E) dated May **8**, 2000 in Part II. Section 3, sub-section (i) and subsequently amended as under:

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001 G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001 G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001 G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002 G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002 G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003 G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003 G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003 G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003 G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004 G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004 G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004 G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004 G.S.R.No 799(E) dated 08.12.2004 G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005 G.S.R.No. 738(E)\*dated 22.12.2005 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007 G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008

#### Annex A

(See paragraph 2 of schedule 1)

- (A) All Activities/ Sectors would require prior approval of the Government of India for FDI in the following circumstances:
  - i) where provisions of Press Note 1 (2005 Series) issued by the Government of India are attracted:
  - ii) where more than 24 per cent foreign equity is proposed to be inducted for manufacture of items reserved for the Small Scale sector.

# (B) Sectors prohibited for FDI

- i. Retail Trading (except single brand product retailing)
- ii. Atomic Energy
- iii. Lottery Business
- iv. Gambling and Betting
- v. Business of chit fund
- vi. Nidhi Company
- vii. Trading in Transferable Development Rights (TDRs).
- viii. Activities/sector not opened to private sector investment

#### Annex B

(See paragraph 2 of schedule 1)

# Sector-specific policy for foreign investment

In the following sectors/activities, FDI up to the limit indicated below is allowed subject to other conditions as indicated. In Sectors/Activities not listed below, FDI is permitted up to 100 per cent on the automatic route subject to sectoral rules/regulations applicable.

| Sr.<br>No. | Sector/Activity   | FDI Cap /<br>Equity | Entry<br>Route | Other conditions |
|------------|---|---------------------|----------------|------------------|
|            | AGRICULTURE   | • .                 |                |                  |
| 1.         | Floriculture,<br>Horticulture,<br>Development of<br>Seeds, Animal<br>Husbandry, | 100%                | Automatic      |                  |

|    | Pisciculture, Aquaculture, Cultivation of Vegetables & Mushrooms under controlled conditions and services related to agro and allied sectors. |      |           |   |
|----|---|------|-----------|---|
|    | NB: Besides the above, FDI is not allowed in any other agricultural sector /activity  |      |           |   |
| 2. | Tea Sector, including tea plantation  NB: Besides the above, FDI is not allowed in any other plantation sector/activity                       | 100% | FIPB      | Subject to divestment of 26% equity in favour of Indian partner/Indian public within 5 years and prior approval of State Government concerned in case of any change in future land use. |
|    | INDUSTRY  |      |           |   |
|    | MINING  |      |           |   |
| 3. | Mining covering exploration and mining of diamonds & precious stones; gold, silver and  | 100% | Automatic | Subject to Mines & Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 (www.mines.nic.in)   |
|    | minerals.   |      |           | Press Note 18 (1998) and Press Note 1 (2005) are not applicable for setting up 100% owned subsidiaries in so far as the mining  |
|    |   |      |           | sector is concerned, subject to a declaration from the applicant that he has no existing joint venture for the same area and /or the particular mineral.                                |

| 4. | Coal & Lignite mining for captive   | 100%   | Automatic | Subject to provisions of Coal<br>Mines(Nationalization) Act,<br>1973.   |
|----|---|--------|-----------|---|
|    | consumption by power projects, and iron & steel, cement   |        |           | (www.coal.nic.in)   |
|    | production and other eligible activities  | ·      |           |   |
|    | permitted under<br>the Coal Mines<br>(Nationalisation)<br>Act, 1973.                                    |        |           |   |
| 5  | Mining and mineral separation of titanium bearing   | 100%   | FIPB      | Subject to sectoral<br>Regulations and the Mines and<br>Minerals (Development &<br>Regulation) Act, 1957 and the                                  |
|    | minerals and ores, its value addition and integrated activities.  |        |           | following conditions - i. value addition facilities are set up within India along with transfer of technology;                                    |
|    | NB: FDI will not<br>be allowed in<br>mining of<br>"prescribed<br>substances" listed<br>in Government of |        |           | ii. disposal of tailings during the mineral separation shall be carried out in accordance with Regulations framed by the Atomic Energy Regulatory |
|    | India notification No. S.O. 61(E) dated 18.1.2006 issued by the Department of Atomic Energy.            |        |           | Board such as Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987.           |
| -  | MANUFACTURING   | ·<br>} |           | 1 1   |
| 6. | Alcohol-<br>Distillation &<br>Brewing   | 100%   | Automatic | Subject to license by appropriate authority.  |
| 7  | 6igars & Cigarettes-<br>Manufacture   | 100%   | FIPB      | Subject to industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951.  |

|     | - (a o S 3(1)]   |          | राजन्य - जतावारन |  |
|-----|--|----------|------------------|--|
| 8.  | Coffee & Rubber processing & warehousing   | 100%     | Automatic        |  |
| 9.  | Defence<br>production  | 26%      | FIPB             | Subject to licensing under Industries (Development & Regulation) Act, 1951 and guidelines on FDI in                                |
|     |  |          |                  | production of arms & ammunition.   |
| 10. | Hazardous chemicals, viz., hydrocyanic acid and its derivatives; phosgene and its derivatives; and isocyanates and disocyantes of hydrocarbon. | 100%     | Automatic        | Subject to industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 and other sectoral Regulations.            |
| 11. | Industrial explosives- Manufacture   | 100%     | Automatic        | Subject to industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 and Regulations under Explosives Act, 1898 |
|     | POWER  |          |                  |  |
| 12. | Power including generation (except Atomic energy);   | 100%     | Automatic        | Subject to provisions of the Electricity Act, 2003 (www.powermin.nic.in)   |
|     | transmission,<br>distribution and<br>Power trading.  |          |                  |  |
|     | SERVICES   | <u> </u> |                  |  |
|     | CIVIL AVIATION S   | ECTOR    |                  |  |
| 13. | Airports-  |          | *                |  |
| a.  | Greenfield projects  | 100%     | Automatic        | Subject to sectoral Regulations notified by Ministry of Civil Aviation (www.civilaviation.nic.in)                                  |

| 一        | b.            | Existing projects               | 100%               | FIPB              | Subject to sectoral                                   |
|----------|---------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| ŀ        | J.            | Existing projects               | 10070              | beyond            | Regulations notified by                               |
|          |               |                                 |                    | 74%               | Ministry of Civil Aviation (www.civilaviation.nic.in) |
|          | ٠             |                                 | •                  |                   | (WWW.orviid viduorii.iio. iii)                        |
|          | 14.           |                                 |                    |                   | duled Passenger Airlines;                             |
|          |               | Seaplane Services               | lines; Chartere    | ed Airlines; Carg | o Airlines; Helicopter and                            |
|          | a.            | Scheduled Air                   | 49%- FDI;          | Automatic         | Subject to no direct or                               |
|          |               | Transport                       | 100%- for          |                   | indirect participation by foreign airlines and        |
|          |               | Services/<br>Domestic           | NRIs<br>investment |                   | sectoral Regulations.                                 |
|          |               | Scheduled                       | mvesument          | -                 | (www.civilaviation.nic. in)                           |
|          | _             | Passenger                       |                    |                   |   |
| -        | <del>  </del> | Airline                         | 740/ 75            |                   | Subject to no direct or                               |
|          | b.            | Non-Scheduled<br>Air Transport  | 74%- FDI           | Automatic         | indirect participation by                             |
|          |               | Service/ Non-                   | 100%- for<br>NRIs  |                   | foreign airlines in Non-                              |
|          |               | Scheduled                       | investment         |                   | Scheduled and Chartered airlines. Foreign airlines    |
|          |               | airlines,<br>Chartered          |                    |                   | are allowed to participate                            |
|          |               | airlines, and                   |                    |                   | in the equity of companies                            |
|          |               | Cargo airlines                  |                    |                   | operating Cargo airlines.  Also subject to sectoral   |
| 1        |               | •                               |                    |                   | Regulations.  |
| -        |               | ·                               |                    |                   | (www.civilaviation.nic.in)                            |
|          |               |                                 | 4000/              | Ato               | Foreign airlines are                                  |
|          | C.            | Helicopter<br>Services /        | 100%               | Automatic         | allowed to participate in                             |
|          |               | Seaplane services               |                    |                   | the equity of companies                               |
|          |               | requiring DGCA                  |                    |                   | operating Helicopter and seaplane services. Also      |
|          |               | approval                        |                    |                   | subject to sectoral                                   |
|          |               |                                 |                    |                   | Regulations.  |
| -        | 4 -           | Other services und              | lar Civil Aviatic  | n Sector          | (www.civilaviation.nic. in)                           |
|          | 15.<br>-      | Ground                          | 74%- FDI           | Automatic         | Subject to sectoral                                   |
| 3        | a.            | Handling                        | 100%- for          | , tatornano       | Regulations and security                              |
|          |               | Services                        | NRIs               |                   | clearance.  |
| <b> </b> | <u> </u>      | Maintenance                     | investment<br>100% | Automatic         |   |
|          | b.            | and Repair                      | 10070              | Automatio         | <b></b>   |
|          |               | organizations;                  |                    |                   |   |
|          |               | flying training institutes; and | -                  |                   |   |
|          |               | msututes, and                   | <u> </u>           | · ·               | <u> </u>  |

|     | technical<br>training<br>institutions                                |   |           |   |
|-----|--|---|-----------|---|
| 16. | Asset  | 49%   | FIPB      | Where any individual  |
|     | Reconstruction<br>Companies  | (only FDI)  |           | investment exceeds 10% of the equity, provisions of Section 3(3)(f) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 should be complied with (www.finmin.nic.in) |
| 17. | Banking -<br>Private sector  | 74% (FDI+FII) Within this limit, FII investment not to exceed 49% | Automatic | Subject to guidelines for setting up branches / subsidiaries of foreign banks issued by RBI. (www.rbi.org.in)   |
| 18. | Broadcasting   | ·   |           |   |
| a.  | FM Radio   | FDI +FII<br>investment<br>up to 20%                               | FIPB      | Subject to guidelines notified<br>by Ministry of Information &<br>Broadcasting.<br>(www.mib.nic.in)   |
| b.  | Cable network  | 49%<br>(FDI+FII)  | FIPB      | Subject to Cable Television<br>Network Rules (1994),<br>notified by Ministry of<br>Information & Broadcasting.<br>(www.mib.nic.in)  |
| C.  | Direct-To-Home   | 49% (FDI+FII). Within this limit, FDI component not to            | FIPB      | Subject to guidelines issued<br>by Ministry of Information &<br>Broadcasting.<br>(www.mib.nic.in)   |
|     |  | exceed<br>20%   |           |   |
| d.  | Setting up<br>hardware facilities<br>such as up-linking,<br>HUB, etc | 49%<br>(FDI+FII)  | FIPB      | Subject to Up-linking Policy<br>notified by Ministry of<br>Information & Broadcasting.<br>(www.mib.nic.in)  |
| e.  | Up-linking a   | 26%   | FIPB      | Subject to guidelines issued by Ministry of Information-&   |

|     | News<br>& Current Affairs<br>TV Channel   | (FDI+FII)                                  |           | Broadcasting.<br>(www.mib.nic.in <u>)</u>  |
|-----|---|--|-----------|--|
| f.  | Up-linking a Non-<br>news & Current<br>Affairs TV<br>Channel  | 100%                                       | FIPB      | Subject to guidelines issued by Ministry of Information & Broadcasting. (www.mib.nic.in)   |
| 19. | Commodity<br>Exchanges  | 49%<br>(FDI+FII)<br>FDI – 26%<br>Fii – 23% | FIPB      | FII purchases shall be restricted to secondary market. Subject to regulations specified by concerned Regulators.   |
| 20. | Construction Development projects, including housing, commercial premises, resorts, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships. | 100%                                       | Automatic | Subject to conditions notified vide Press Note 2 (2005 Series) including:  a. Minimum capitalization of US\$ 10 million for wholly owned subsidiaries and US\$ 5 million for joint venture. The funds would have to be brought within six months of commencement of business of the Company. |
|     | NB: FDI is not<br>allowed in Real<br>Estate Business  |  |           | b. Minimum area to be developed under each project- 10 hectares in case of development of  |
|     |   |  |           | serviced housing plots;<br>and built-up area of<br>50,000 sq. mts. in case of  |
|     |   |  |           | construction development project; and any of the above in case of a combination project.   |
|     |   |  |           | [Note 1: For investment by NRIs, the conditions mentioned in Press Note 2 (2005) are not applicable.  Note 2: For investment in  |
|     |   |  |           | SEZs, Hotels & Hospitals, conditions mentioned in Press Note 2(2005) are not applicable ]  |

| for carrying packages, parcels and other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act, 1898.  22. Infrastructure companies in securities markets namely, Stock Exchanges, Depositories and Clearing Corporations  23. Credit Information Companies  Companies  Within this limit, FII investment not to exceed 24%  100% Automatic  Automatic Conditions in Press Note 2(2005) applicable for  | for carrying packages, parcels and other items which do not come within the ambit of the Indian Post Office Act, 1898.  22. Infrastructure companies in securities markets namely, Stock Exchanges, Depositories and Clearing Corporations  23. Credit Information (FDI+FII) Within this limit, FII investment not to exceed 24%  24. Industrial Parks both setting up and in established Industrial Parks    Industrial Parks   100%   Automatic   Conditions in Press Note 2(2005) applicable for construction development projects would not apply provided the Industrial Parks and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area and; ii. the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total  |    |  |   | ·         |   |
|--|--|----|--|---|-----------|---|
| companies in securities markets namely, Stock Exchanges, Depositories and Clearing Corporations  23. Credit Information Companies Within this limit, FII investment not to exceed 24%  24. Industrial Parks both setting up and in established Industrial Parks    Industrial Parks   100%   Automatic   Conditions in Press Note 2(2005) applicable for construction development projects would not apply provided the Industrial Parks   It would comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the area to be allocated for industrial eactivity shall not be less than 66% of the total   | companies in securities markets namely, Stock Exchanges, Depositories and Clearing Corporations  23. Credit Information Companies Within this limit, FII investment not to exceed 24%  24. Industrial Parks both setting up and in established Industrial Parks    Conditions   Companies   Conditions   Conditi | 21 | for carrying packages, parcels and other items which do not come within the ambit of the Indian Post | 100%  | FIPB      | which is exclusively reserved for the State   |
| Information Companies  Within this limit, FII investment not to exceed 24%  Industrial Parks both setting up and in established Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks  both setting up and in established Industrial Parks  Industrial Parks Industrial Parks  both setting up and in established Industrial Parks  Industrial Park | Information Companies  (FDI+FII) Within this limit, FII investment not to exceed 24%  24. Industrial Parks both setting up and in established Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks Industrial Parks  (Conditions in Press Note 2(2005) applicable for construction development projects would not apply provided the Industrial Parks meet with the undermentioned conditions-  i. it would comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area and;  ii. the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total  | 2: | companies in securities markets namely, Stock Exchanges, Depositories and Clearing                   | (FDI+FII)<br>FDI – 26%                                    | FIPB      | restricted to secondary market. Subject to regulations specified by concerned   |
| both setting up and in established Industrial Parks  2(2005) applicable for construction development projects would not apply provided the Industrial Parks meet with the undermentioned conditionsit it would comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area and;  ii. the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total  | both setting up and in established Industrial Parks  2(2005) applicable for construction development projects would not apply provided the Industrial Parks meet with the undermentioned conditions- i. it would comprise of a minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area and; ii. the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total   | 23 | Information  | (FDI+FII) Within this limit, FII investment not to exceed | FIPB      | will be subject to Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005. Subject to regulations specified by concerned                           |
| minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area and;  ii. the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total   | minimum of 10 units and no single unit shall occupy more than 50% of the allocable area and;  ii. the minimum percentage of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total   | 24 | both setting up<br>and in<br>established   | 100%  | Automatic | 2(2005) applicable for construction development projects would not apply provided the Industrial Parks meet with the undermentioned conditions- |
| of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total  | of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total  |    |  |   |           | minimum of 10 units<br>and no single unit shall<br>occupy more than 50%<br>of the allocable area  |
|  |  |    |  |   |           | of the area to be allocated for industrial activity shall not be less than 66% of the total   |

|   | <del></del>   |  |   |
|---|---|--|---|
| Insurance   | 26%   | Automatic  | Subject to licensing by the Insurance Regulatory & Development Authority (www.irda.nic.in)  |
| Investing companies in infrastructure / services sector (except telecom sector) | 100%  | FIPB   | Where there is a prescribed cap for foreign investment, only the direct investment will be considered for the prescribed cap and foreign investment in an investing company will not be set off against this cap provided the foreign direct investment in such                                 |
|   |   |  | investing company does not exceed 49% and the management of the investing company is with the Indian owners.  |
| Non Banking Fina  | nce Comp <u>anie</u>  | S  |   |
| Merchant<br>banking   | 100%  | Automatic  | Subject to:  a. Minimum capitalization norms for fund based   |
| Underwriting  |   |  | NBFCs - US\$ 0.5 million to be brought  |
| Portfolio<br>Management<br>Services   |   |  | upfront for FDI up to 51%; US\$ 5 million to be brought upfront for FDI above 51% and   |
| Investment<br>Advisory<br>Services  |   |  | up to 75%; and US\$ 50 million out of which US\$ 7.5 million to be brought upfront and the balance in 24  |
| Financial<br>Consultancy  |   |  | months, for FDI beyond 75% and up to 100%.  |
| Stock Broking   |   |  | b. Minimum capitalization   |
| Asset Management Venture Capital  |   |  | norms for non-fund<br>based NBFC<br>activities- US\$ 0.5<br>million.  |
| Custodial<br>Services   |   |  | c. Foreign investors can<br>set up 100% operating<br>subsidiaries without   |
|   | Investing companies in infrastructure / services sector (except telecom sector)  Non Banking Fina Merchant banking Underwriting Portfolio Management Services Investment Advisory Services Financial Consultancy Stock Broking Asset Management Venture Capital Custodial | Investing companies in infrastructure / services sector (except telecom sector)  Non Banking Finance Companies Merchant banking  Underwriting  Portfolio Management Services  Investment Advisory Services  Financial Consultancy  Stock Broking  Asset Management  Venture Capital  Custodial | Investing companies in infrastructure / services sector (except telecom sector)  Non Banking Finance Companies  Merchant banking  Underwriting  Portfolio Management Services  Investment Advisory Services  Financial Consultancy  Stock Broking  Asset Management  Venture Capital  Custodial |

|            |                    |                | <del></del>         |   |
|------------|--------------------|----------------|---------------------|---|
| <b>x</b> ) | Factoring          |                |                     | the condition to disinvest a minimum of       |
| -          | O - dit Dating     |                |                     | 25% of its equity to                          |
| xi)        | Credit Rating      | ·              |                     | Indian entities subject                       |
|            | Agencies           |                | :                   | to bringing in US\$ 50                        |
|            |                    |                |                     | million without any                           |
| xii)       | Leasing &          |                |                     | restriction on number                         |
| '          | Finance            |                |                     | of operating                                  |
|            |                    |                |                     | subsidiaries without                          |
| xiii)      | Housing            |                |                     |   |
| \ \^\\\\\  | Finance            |                |                     | bringing additional capital.                  |
|            |                    |                | ·                   | Capital.                                      |
|            | Forex Broking      |                | ٠.                  | d laint vantura aparating                     |
| xiv)       | Folex Dioking      |                |                     | d. Joint venture operating  NBFCs that have   |
|            |                    |                |                     | 75% or less than 75%                          |
| xv)        | Credit card        |                | · .                 |   |
|            | Business           |                |                     | foreign investment will                       |
|            |                    |                |                     | also be allowed to set<br>up subsidiaries for |
| xvi)       | Money              |                |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |
|            | changing           |                |                     | undertaking other NBFC activities             |
|            | business           |                |                     |   |
|            |                    | · ·            |                     | subject to the subsidiaries also              |
| xvii)      | Micro credit       |                | *                   |   |
| ^*"/       |                    |                |                     | complying with the applicable minimum         |
|            | Rural credit       |                | •                   | capital inflow.                               |
| xviii)     | Rurai Credit       | ,              |                     | Capital Illiow.                               |
|            |                    |                |                     | e. Compliance with the                        |
|            |                    |                |                     | guidelines of the RBI.                        |
|            | ·                  |                |                     | guidelines of the ASI.                        |
| 28         | Petroleum & Natu   | ral Gas sectoi | •                   |   |
| a.         | Refining           | 49% in         | FIPB                | Subject to Sectoral policy                    |
|            |                    | case of        | (in case of         | and no divestment or                          |
|            |                    | PSUs.          | `PSUs)              | dilution of domestic equity in                |
| ] .        |                    |                |                     | the existing PSUs                             |
|            |                    | 100% in        | Automatic           | (www.petroleum.nic.in)                        |
|            |                    | case of        | (in case of private |   |
|            |                    | Private        |                     | <b>9</b>                                      |
|            |                    | companies      | companies)          |   |
| · [        |                    | •              |                     | ·   |
| b.         | Other than         | 100%           | Automatic           | Subject to sectoral                           |
| D.         | Refining and       |                |                     | Regulations issued by                         |
| -          | including market   |                |                     | Ministry of Petroleum &                       |
|            | study and          |                | (                   | Natural Gas.                                  |
| i          | formulation;       |                |                     | (www.petroleum.nic.in)                        |
| ] .        | investment/        |                |                     | `   |
|            | financing; setting |                | -                   |   |
|            | up infrastructure  |                |                     | ,   |
| ]          | for marketing in   |                |                     |   |
|            | Petroleum &        |                |                     |   |
|            | Natural Gas        | <b> </b><br>i  |                     |   |
| l l        | Hatulal Odd        | L              | I <u> </u>          | <u></u>                                       |

| 58    |   | THE GAZETTE OF                  | INDIA: EXTRAORD         | INARY [Part II—Sec. 3(1)]  |
|-------|---|---------------------------------|-------------------------|--|
|       | sector.   |                                 |                         |  |
| 29    | Print Media-  |                                 | • .                     |  |
| a.    | Publishing of newspaper and periodicals dealing with news and current affairs | 26%                             | FIPB                    | Subject to guidelines notified<br>by Ministry of Information &<br>Broadcasting.<br>(www.mib.nic.in)                          |
| b.    | Publishing of scientific magazines/ specialty journals/ periodicals           | 100%                            | FIPB                    | Subject to guidelines issued<br>by Ministry of Information &<br>Broadcasting.<br>(www.mib.nic.in)                            |
| 30.   | Telecommunicatio  | ns                              |                         |  |
| a.    | Basic and   | 74%                             | Automatic               | Subject to guidelines notified   |
|       | cellular, Unified Access Services National/                                   | (Including<br>FDI, FII,<br>NRI, | up to<br>49%.           | in the Press Note 3(2007<br>Series) dated April 19,<br>2007.   |
|       | International   | FCCBs                           | FIPB                    |  |
| 1     | Long Distance,  | ADRs,                           | beyond                  |  |
|       | V-Sat, Public   | GDRs,                           | 49%.                    |  |
|       | Mobile Radio  | convertible                     |                         |  |
| į<br> | Trunked   | preference                      | •                       |  |
|       | Services  | shares, and                     |                         |  |
|       | (PMRTS),  | proportio-                      |                         |  |
|       | Global Mobile   | nate                            |                         |  |
|       | Personal  | foreign                         |                         |  |
|       | Communications  | equity in                       |                         |  |
|       | Services  | Indian                          |                         |  |
|       | (GMPCS) and   | promoters/                      |                         |  |
|       | other value<br>added telecom<br>services                                      | Investing<br>Company)           |                         |  |
| b.    | ISP with gateways, radio-   | 74%                             | Automatic up to 49%.    | Subject to licensing and security requirements notified by the Department  |
|       | end bandwidth.  |                                 | FIPB<br>beyond<br>49%.  | of Telecommunications.<br>(www.dotindia.com)   |
| C.    | (a) ISP without gateway,  | 100%                            | Automatic<br>up to 49%. | Subject to the condition that such companies shall divest 26% of their equity  |
|       | (b) infrastructure<br>provider<br>providing dark<br>fibre, right of           | ·                               | FIPB<br>beyond<br>49%.  | in favour of Indian public in 5 years, if these companies are listed in other parts of the world.  Also subject to licensing |

|      | way, duct space,<br>tower (Category I);<br>(c) electronic mail<br>and voice mail.          |      |  | and security requirements, where required. (www.dotindia.com)   |
|------|--|------|--|---|
| d.   | Manufacture of telecom equipments  | 100% | Automatic  | Subject to sectoral requirements. (www.dotindia.com)  |
| 31   | Trading  |      | The state of the s |   |
| a.   | Wholesale/cash   | 100% | Automotic  | Cubinet to midelines for  |
| , a. | & carry trading  | 100% | Automatic  | Subject to guidelines for FDI in trading issued by Department of Industrial Policy & Promotion vide Press Note 3 (2006 Series) dated February 10, 2006.   |
| b.   | Trading for Exports  | 100% | Automatic  |   |
| С    | Trading of items sourced from small scale sector   | 100% | FIPB   |   |
| d.   | Test marketing of such items for which a company has approval for manufacture              | 100% | FIPB   | Subject to the condition that the test marketing approval will be for a period of two years and investment in setting up manufacturing facilities commences simultaneously with test marketing. |
| e.   | Single Brand<br>Product retailing  | 51%  | FIPB   | marketing.  |
| 32.  | Satellites -<br>Establishment<br>and operation   | 74%  | FIPB   | Subject to sectoral guidelines issued by Department of Space / ISRO. (www.isro.org)   |
| 33.  | Special Economic Zones and Free Trade Warehousing Zones covering setting up of these Zones | 100% | Automatic  | Subject to Special<br>Economic Zones Act, 2005<br>and the Foreign Trade<br>Policy.<br>(www.sezindia.nic.in)   |
|      | and setting up<br>units in the   |      |  |   |
|      | Zones  |      |  |   |
| 34.  | Drugs & Pharmaceutical Including those Involving recombinant DNA technology                | 100% | Automatic  |   |

N.B.: All the above sector / activities mentioned in Annex B above, are governed by the respective Press Notes / Releases issued by the Government of India, from time to time.

Annex-C

# Report by the Indian company receiving amount of consideration for issue of shares as per Foreign Direct Investment Scheme:

(To be filed by the company through its Authorised Dealer Category – I bank not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration with the Regional Office of the RBI under whose jurisdiction the Registered Office of the company making the declaration is situated, called for in terms of para 9 (1) (A) of Schedule I to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000.)

| Permanent Account<br>Number (PAN) of the    |  |  | · |  | <br>· |  |   |
|---|--|--|---|--|-------|--|---|
| investee company given by the IT Department |  |  |   |  |       |  | - |

|     |                                       | 7                                    |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|
| No. | Particulars Particulars               | (In Block Letters)                   |
| 1.  | Name of the Indian company            |                                      |
|     | Address of the Registered Office      |                                      |
|     |                                       | ·                                    |
|     |                                       |                                      |
|     |                                       |                                      |
|     | Fax                                   |                                      |
|     | Telephone                             |                                      |
|     | e-mail                                | <u>l</u>                             |
| 2   | Details of the foreign investor/ co   | llaborator                           |
|     | Name                                  |                                      |
|     | Addass                                |                                      |
|     | Address                               | ·                                    |
|     |                                       |                                      |
|     |                                       |                                      |
|     | Country                               |                                      |
| 3.  | Date of receipt of funds              |                                      |
| 4.  | Amount                                | In foreign currency In Indian Rupees |
|     |                                       |                                      |
|     |                                       |                                      |
| 5.  | Whether investment is under           | Automatic Route / Approval Route     |
|     | Automatic Route or Approval           |                                      |
|     | Route                                 | N Comment                            |
|     | If Approval Route, give details (ref. |                                      |
|     | no. of FIPB approval and date)        |                                      |

| I—खण्ड 3(i)]  | भारत का र            | जपत्र : अस्<br>- | गधारण    |           |            |          | 6          |
|---|----------------------|------------------|----------|-----------|------------|----------|------------|
| 6. Name of the AD throremittance is received                |                      |                  |          |           |            |          |            |
| 7. Address of the AD  |                      |                  |          | •         | -          |          |            |
| A copy of the FIRC evid<br>convertible debentures as        |                      |                  | conside  | ration fo | or issue   | of sha   | res/       |
|   |                      |                  |          |           |            | •        |            |
| Authorised signatory of he investee company)                |                      |                  |          | (Auth     | orised sig | natory o |            |
| (Stamp)   |                      |                  | •        | ٠.,       |            | (Stamp   | <b>)</b> ) |
| FOR USE OF THE RESERVE                                      | BANK ONLY:           |                  | 1        |           | · .        | Ģ        |            |
| Inique Identification Numbe                                 | er for the remittand | e :              |          |           |            |          |            |
| Know Your Custome   | r (KYC) Form in      | respec           | t of the | non-res   | sident in  | vestor   |            |
| Registered Name of<br>Investor<br>(Name, if the investor    |                      | )                |          |           |            |          |            |
| Registration Number Identification Number is an Individual) |                      | er               |          |           |            |          |            |
| Registered Address<br>Address if remitter In                | •                    |                  |          |           |            |          |            |
|   |                      |                  |          |           |            |          |            |

We confirm that all the information furnished above is true and accurate as provided by the overseas remitting bank of the non-resident investor.

> (Signature of the Authorised Official of the AD bank receiving the remittance)

Date:

remitter

Name of the Remitter's Bank

Remitter's Bank Account No.

Period of banking relationship with the

Place:

Stamp:

<sup>\*</sup>Passport No., Social Security No. or any Unique No. certifying the bonafides of the remitter as prevalent in the remitter's country

Annex D

### FC-GPR

## PART - A

(To be filed by the company through its Authorised Dealer Category – I bank with the Regional Office of the RBI under whose jurisdiction the Registered Office of the company making the declaration is situated as and when fresh investment in the Company is received, along with the documents mentioned in item No. 4 of the undertaking enclosed in this form)

| Permanent Account Number<br>(PAN) of the investee company<br>given by the IT Department |  |
|---|--|
| Date of issue of shares   |  |

| Particulars  | (In Block Letters)             |
|--|--------------------------------|
| Name   |                                |
| Name   |                                |
|  |                                |
|  |                                |
| Address of the Registered Office   |                                |
|  |                                |
| · .  |                                |
|  |                                |
| •  |                                |
| ·  |                                |
| State  |                                |
|  |                                |
| Registration No. given by Registrar of Companies                                 |                                |
| Whether existing company or new company (strike off whichever is not applicable) | Existing company / New company |
|  |                                |
| If existing company, give registration number allotted by RBI for FDI, if any    |                                |
| Telephone  |                                |
|  |                                |
| Fax  |                                |
|  |                                |
| e-mail   |                                |

| 2.       |  |                                  |
|----------|--|----------------------------------|
| 1 .      | activity   |                                  |
|          | · ·  |                                  |
| 1        | -  |                                  |
| 4        | 1,52,5   |                                  |
| <u></u>  | NIC Code   |                                  |
|          | Location of the project and NIC                                |                                  |
|          | code for the district where the                                |                                  |
| ļ        | project is located   |                                  |
| 1        | Percentage of FDI allowed as per                               |                                  |
|          | FDI policy   |                                  |
|          | State whether FDI is allowed under                             | Automatic Route / Approval Route |
|          | Automatic Route or Approval Route                              |                                  |
|          | (strike out whichever is not                                   |                                  |
| <u> </u> | applicable)  |                                  |
| 3        | Details of the foreign investor/ coll                          | aborator                         |
|          | Name   |                                  |
|          |  |                                  |
|          | Address  |                                  |
| i ·      |  |                                  |
|          |  |                                  |
| l        |  |                                  |
|          | Country  |                                  |
|          |  |                                  |
|          |  |                                  |
| 1        |  |                                  |
|          | Constitution / Nature of the                                   |                                  |
|          | investing Entity   |                                  |
|          | [Specify whether   |                                  |
|          | Individual     Company   |                                  |
| ĺ        | 3. FII   |                                  |
|          | 4 FVCI   |                                  |
|          | 5. Foreign Trust   | ·                                |
|          | 6 Private Equity Fund  | •                                |
|          | 7 Pension/ Provident Fund                                      |                                  |
| }        | 8. Sovereign Wealth Funds <sup>4</sup>                         |                                  |
|          | Partnership/ Proprietorship firm     To. Financial Institution |                                  |
|          | 11. NRIs/PIOs  |                                  |
|          | 12. others (please specify)]                                   |                                  |
|          | (I   |                                  |
| ļ        | Date of incorporation  |                                  |
| L        |  |                                  |

<sup>\*</sup> If there are more than one foreign investor/collaborator, separate Annex may be included for items 3 and 4.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> SWF is a government investment vehicle which is funded by foreign exchange assets and manages overseas assets such as stocks, property or other financial instruments, separately from the official reserves of the monetary authorities.

| 4   | Parti | culars of Sh  | ares / Co | nvertible   | Debei         | ntures Iss  | ued  |                   |     |  |  |  |  |  |
|-----|-------|---|-----------|-------------|---------------|-------------|--|-------------------|-----|--|--|--|--|--|
| (a) | Natu  | re and date   | of issue  |             |               |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     |       | Nature of   | issue     |             | Dat           | e of issue  | Number of shares/<br>convertible debenture |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 01    | IPO / FPO   | )         |             |               | <del></del> |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 02    | Preferenti  |           | ent /       |               |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     |       | private pla   | acement   |             |               |             | }  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 03    | Rights  |           |             |               | •           |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 04    | Bonus   |           | <del></del> |               |             | †  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 05    | Conversion  | n of ECB  | 3           |               |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 06    | Conversion (including payments                      | lump sur  | •           |               |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 07    | Conversion capital go                               | n agains  |             |               |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 08    | ESOPs   |           |             |               |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 09    | Share Sw  | ар        |             |               |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 10    | Others (pl  | ease spe  | cify)       |               |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     |       | Total   | •         |             |               |             |  |                   | -   |  |  |  |  |  |
| (b) | Typ   | e of security                                       | haussi    |             |               |             |  |                   | 1 . |  |  |  |  |  |
| (5) | No.   | Nature of security                                  | Number    | Maturity    | Face<br>value | Premium     | Issue<br>Price per<br>share                | Amount of inflow* |     |  |  |  |  |  |
|     | 01    | Equity  |           |             |               | •           |  |                   | ]   |  |  |  |  |  |
|     | 02    | Compulsorily<br>Convertible<br>Debentures           | . •       |             |               |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |
|     | 03    | Compulsorily<br>Convertible<br>Preference<br>shares |           |             |               |             |  |                   | ,   |  |  |  |  |  |
|     | 04    | Others<br>(please<br>specify)                       |           |             | ·             |             |  |                   |     |  |  |  |  |  |

ii) \* In case the issue is against conversion of ECB or royalty or lumpsum payment or against import of capital goods by units in SEZ, a Chartered Accountant's Certificate certifying the amount of the outstanding on the date of conversion

| (c) | Break up of premium | Amount |  |
|-----|---------------------|--------|--|
|     | Control Premium     |        |  |
|     | Non competition fee |        |  |
|     | Others <sup>®</sup> |        |  |
|     | Total               |        |  |

<sup>&</sup>lt;sup>@</sup>please specify the nature

i) In case the issue price is greater than the face value please give break up of the premium received.

| (d) | <b>Total inflow</b> (in Rupees) on account of issue of shares to non-residents (including premium, if any) vide  |     |                                       |      |  |
|-----|--|-----|---------------------------------------|------|--|
|     | (i) Remittance through AD: (ii) Debit to NRE/FCNR A/c with Bank (iii) Others (please specify)  |     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |      |  |
|     | Date of reporting of (i) and (ii) above to RBI under Para 9 (1) A (i) of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000, as amended from time to time. |     |                                       |      |  |
| (e) | Disclosure of fair value of shares issued**  | · · |                                       | <br> |  |
|     | We are a listed company and the market value of a share as on date of the issue is*  |     | •                                     |      |  |
|     | We are an un-listed company and the fair value of a share is*  |     |                                       |      |  |

<sup>\*\*</sup> before issue of shares

\*(Please indicate as applicable)

| ·    |         |                                   | Equity              |                               |   | coi<br>Pre<br>S     | pulsoi<br>evertible<br>eference<br>hares/<br>benture | ible<br>nce<br>s/ |  |  |
|------|---------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|-------------------|--|--|
| Inve | estor ( | category                          | No.<br>of<br>shares | Amount<br>(Face<br>Value) Rs. | % | No.<br>of<br>shares | Amount<br>(Face<br>Value) Rs.                        | %                 |  |  |
| a)   | Non     | -Resident                         | ·                   | . ,                           |   |                     | · ·  |                   |  |  |
|      | 01      | Individuals                       | ,                   |                               |   |                     |  |                   |  |  |
|      | 02      | Companies                         |                     |                               |   |                     |  |                   |  |  |
|      | 03      | Fils                              |                     |                               |   |                     |  |                   |  |  |
|      | 04      | FVCIs                             |                     |                               | - |                     |  | _                 |  |  |
|      | 05      | Foreign Trusts                    |                     |                               |   |                     |  |                   |  |  |
|      | 06      | Private Equity Funds              |                     |                               |   |                     | ***  |                   |  |  |
|      | 07      | Pension/ Provident Funds          |                     |                               |   |                     |  |                   |  |  |
|      | 08      | Sovereign Wealth Funds            |                     |                               | - |                     |  |                   |  |  |
|      | 09      | Partnership/ Proprietorship firms |                     |                               |   |                     |  |                   |  |  |
|      | 10      | Financial Institutions            | ·                   |                               |   | -                   |  |                   |  |  |
|      | 11      | NRIs/PIOs                         |                     |                               |   |                     |  |                   |  |  |
|      | 12      | Others (please specify)           |                     |                               |   |                     | -  |                   |  |  |
|      |         | Sub Total                         |                     |                               |   |                     | -  |                   |  |  |
| b)   | Resi    | ident                             |                     |                               |   |                     |  |                   |  |  |
| Tot  | al      |                                   |                     |                               |   | •                   |  |                   |  |  |

# DECLARATION TO BE FILED BY THE AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE INDIAN COMPANY: (Delete whichever is not applicable and authenticate)

We hereby declare that:

- 1. We comply with the procedure for issue of shares as laid down under the FDI scheme as indicated in Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May 2000 as amended from time to time
- 2. The investment is within the sectoral cap/statutory ceiling permissible under the Automatic Route of RBI and we fulfill all the conditions laid down for investments under the Automatic Route namely (strike off whichever is not applicable)
  - a) Foreign entity/entities—(other than individuals), to whom we have issued shares have existing joint venture or technology transfer or trade mark agreement in India in the same field and Conditions stipulated in Press Note 1 of 2005 Series dated January 12, 2005 have been complied with.

#### OR

- b) Foreign entity/entities—(other than individuals), to whom we have issued shares do not have any existing joint venture or technology transfer or trade mark agreement in India in the same field.
- c) We are not an SSI unit.

OR

We are a SSI unit and the investment limit of 24 % of paid-up capital has been observed/ requisite approvals have been obtained.

d) Shares issued on rights basis to non-residents are in conformity with Regulation 6 of the RBI Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May 2000, as amended from time to time.

OR

e) Shares issued are bonus shares.

OR

f) Shares have been issued under a scheme of merger and amalgamation of two or more Indian companies or reconstruction by way of de-merger or otherwise of an Indian company, duly approved by a court in India.

OR

g) Shares are issued under ESOP and the conditions regarding this issue have been satisfied

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3. Shares have been issued in terms of SIA/FIPB approval No. dated 4. We enclose the following documents in compliance with Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000.: (i) A certificate from our Company Secretary certifying that all the requirements of the Companies Act, 1956 have been complied with: (b) terms and conditions of the Government approval, if any, have been . complied with; the company is eligible to issue shares under these Regulations; and (c) (d) the company has all original certificates issued by authorised dealers in India evidencing receipt of amount of consideration in accordance with paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May, 2000. (ii) A certificate from Statutory Auditors / Chartered Accountant indicating the manner of arriving at the price of the shares issued to the persons resident outside India. 5. Unique Identification Number given for all the remittances received as consideration for issue of shares/convertible debentures (details as above), by RBI: (Signature of the Applicant)\* :\_\_\_\_\_ (Name in Block Letters) (Designation of the signatory) :\_\_\_\_\_

(\* To be signed by Managing Director/Director/Secretary of the Company)

Place:

Date:

# CERTIFICATE TO BE FILED BY THE COMPANY SECRETARY<sup>5</sup> OF THE INDIAN COMPANY ACCEPTING THE INVESTMENT:

(As per Para 9 (1) (B) (i) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May, 2000)

In respect of the above-mentioned details, we certify the following:

- 1. All the requirements of the Companies Act, 1956 have been complied with.
- 2. Terms and conditions of the Government approval, if any, have been complied with.
- 3. The company is eligible to issue shares under these Regulations.
- 4. The company has all original certificates issued by AD Category I banks in India, evidencing receipt of amount of consideration in accordance with paragraph 8 of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3<sup>rd</sup> May, 2000.

(Name & Signature of the Company Secretary) (Seal)

| FOR USE OF THE RESERVE BANK ONLY:            |   |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Unique Identification Number for the FC-GPR: | G |  |  |  |  |  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> If the company doesn't have full time Company Secretary, a certificate from practising CS may be submitted

#### FC-GPR

#### **PART-B**

- (i) This part of the return to be submitted to the Director, Balance of Payment Statistical Division, Department of Statistics & Information Management, Reserve Bank of India, C8, 3<sup>rd</sup> Floor, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051; Tel: 2657 1265, 2657 2513, Fax: 26570848; email:surveyfla@rbi.org.in
- (ii) This is an annual return to be submitted by 31<sup>st</sup> of July every year by all companies, pertaining to all investments by way of direct/portfolio investments/re-invested earnings/others in the Indian company made during the previous years (i.e. the information in Part B submitted by 31<sup>st</sup> July 2007 will pertain to all the investments made in the previous years up to 31<sup>st</sup> March, 2007). The details of the investments to be reported would include all foreign investments made into the company which is outstanding as on the balance sheet date. The details of overseas investments in the company both under Direct / portfolio investment may be separately indicated. Please use end-March Market prices/exchange rates for compiling the relevant information.

| Permanent Account<br>Number (PAN) of the    |   | İ |  |  |  |
|---|---|---|--|--|--|
| investee company given by the IT Department | · |   |  |  |  |

| No.      | Particulars                               | (In Block Letters) |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.       | Name                                      |                    |  |  |  |  |  |  |
|          |   |                    |  |  |  |  |  |  |
|          | Address                                   |                    |  |  |  |  |  |  |
|          |   |                    |  |  |  |  |  |  |
|          |   |                    |  |  |  |  |  |  |
|          |   |                    |  |  |  |  |  |  |
|          |   |                    |  |  |  |  |  |  |
|          | State                                     |                    |  |  |  |  |  |  |
|          |   |                    |  |  |  |  |  |  |
|          | Registration No. given by the             | ·                  |  |  |  |  |  |  |
| <u> </u> | Registrar of Companies                    | Designation:       |  |  |  |  |  |  |
| 2.       | Name of the Contact Person:  Tel. E-mail: | Designation.       |  |  |  |  |  |  |
|          | ,   |                    |  |  |  |  |  |  |
|          | Fax:                                      |                    |  |  |  |  |  |  |
| 3        | Account closing date:                     |                    |  |  |  |  |  |  |
| 4.       | Details of changes if any, with regard    |                    |  |  |  |  |  |  |
|          | to information furnished earlier          |                    |  |  |  |  |  |  |
|          | (Change in name of company /              |                    |  |  |  |  |  |  |
|          | Change of location, activities, etc.)     |                    |  |  |  |  |  |  |

| 5.    | Whether listed company              | or          | Listed / unlisted |               |                     |  |  |
|-------|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|---------------------|--|--|
|       | unlisted company                    |             | <u> </u>          | ·             | <u>.</u>            |  |  |
| 5.1   | If listed,                          | 1           |                   |               |                     |  |  |
|       |                                     | •           |                   |               |                     |  |  |
|       | i) Market value per sl              | hare as at  |                   |               |                     |  |  |
|       | end-March                           |             |                   |               |                     |  |  |
|       | ii) Net Asset Value per share as on |             |                   | •             | 4                   |  |  |
|       | date of latest Audited Balance      |             |                   |               | .                   |  |  |
|       | Sheet                               |             |                   |               |                     |  |  |
|       |                                     |             |                   |               |                     |  |  |
| 5.2   | If unlisted, Net Asset              | Value per   | ·                 | 5.            |                     |  |  |
|       | share as on date of lat             | est Audited |                   |               |                     |  |  |
|       | Balance Sheet                       |             | ·                 |               |                     |  |  |
|       | •                                   | ,           |                   |               |                     |  |  |
| 6. F  | oreign Direct Investment            | (FDI)       |                   |               |                     |  |  |
|       |                                     |             |                   | Amount in Lal | khs of Rupees       |  |  |
|       | •                                   | Foreign L   | iabilities In     | sets Outside  |                     |  |  |
|       |                                     | Inc         | dia *             | Ind           | ia <sup>&amp;</sup> |  |  |
|       | *                                   | Outstanding | Outstanding       | Outstanding   | Outstanding         |  |  |
|       |                                     | at end-     | at end-           | at end-       | at end-             |  |  |
|       |                                     | March of    | March of          | March of      | March of            |  |  |
|       |                                     | Previous    | Current           | Previous      | Current             |  |  |
| 1     |                                     | Year        | Year              | Year *        | Year                |  |  |
| 6.0 [ | Equity Capital                      |             |                   |               |                     |  |  |
| 6.1   | Other Capital <sup>Ω</sup>          |             |                   |               |                     |  |  |
|       | Disinvestments during               |             |                   |               |                     |  |  |
| the y | _                                   |             |                   |               |                     |  |  |
|       | Retained earnings during            |             |                   |               |                     |  |  |
|       | rear <sup>†</sup>                   |             |                   |               | ,                   |  |  |

Please furnish the outstanding investments of <u>non-resident investors (Direct Investors)</u> who were holding <u>10 per cent or more</u> ordinary shares of your Company on the reporting date.

<sup>&</sup>lt;sup>&</sup> Please furnish your total investments outside the country in each of which your Company held 10 per cent or more ordinary shares of that non-resident enterprise on the reporting date.

Other Capital includes transactions between the non-resident direct investor and investee / reporting company, relating to i) Short Term Borrowing from overseas investors, iii) Long Term Borrowing from overseas investors, iii) Trade Credit, iv) Suppliers Credit, v) Financial Leasing, vi) Control Premium, vii) Non-Competition Fee in case of transactions not involving issue of shares, viii) Non-cash acquisition of shares against technical transfer, plant and machinery, goodwill, business development and similar considerations and ix) investment in immovable property made during the year.

<sup>&</sup>lt;sup>+</sup> Under foreign liabilities, for retained earnings (undistributed profit), please furnish the proportionate amount as per the share holding of non-resident investors (Direct investors). Similarly under foreign assets outside India, the retained earnings of your company would be proportionate to your shareholding of ordinary shares in the non-resident enterprise.

7. Portfolio and Other Investment [Please furnish here the outstanding investments other than those mentioned under FDI above] Amount in Lakhs of Rupees Foreign Assets Outside Foreign Liabilities In India India Outstanding Outstanding Outstanding Outstanding at endat endat endat end-March of March of March of March of Current **Previous** Current **Previous** Year Year Year Year 7.0 **Equity Securities Debt Securities** 7.1.1 Bonds and Notes 7.1.2 Money Market Instruments 7.2 Disinvestments during the year 8. Financial Derivatives (notional value) 9. Other Investment Trade Credit 9.1 9.1.1 Short Term 9.1.2 Long Term Please see the note below Loans® 9.2 9.3 Others 9.3.1 Short Term 9.3.2 Long Term

Note: As the details of the Loans availed of by your company are collected through Authorised Dealers separately by Foreign Exchange Department of the Reserve Bank in ECB returns, the details of external loans availed by your company need not be filled in. However, the external loans extended by your company to non-resident enterprises other than WOS/JVs outside India should be reported under "Foreign Assets outside India".

| 40 8             | haral                                 | holding nottorn as at and March        | -                   |                                    | <del></del>   | <u></u>                       |       |
|------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-------|
| 10. 3            | nare                                  | holding pattern as at end-March        | Equity              |                                    | Compulsorily<br>convertible<br>Preference Shares/<br>Debentures |                               |       |
| Inve             | stord                                 | category / Nature of investing entity  | No.<br>of<br>shares | Amount<br>(Face<br>Value) Rs.<br>% | No.<br>of<br>shares   | Amount<br>(Face<br>Value) Rs. | . %   |
| a)               | Nor                                   | n-Resident                             |                     | <del></del>                        | - <del>!</del>  |                               |       |
|                  | 01                                    | Individuals                            |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 02                                    | Companies                              |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 03                                    | Fils                                   |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 04                                    | FVCIs                                  |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 05                                    | Foreign Trusts                         |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 06                                    | Private Equity Funds                   |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 07                                    | Pension/ Provident Funds               |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 08                                    | Sovereign Wealth Funds <sup>6</sup>    |                     | ·                                  |   |                               |       |
|                  | 09                                    | Partnership/ Proprietorship firms      |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 10                                    | Financial Institutions                 |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 11                                    | NRIs/PIOs                              |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | 12                                    | Others (please specify)                |                     |                                    |   |                               | -     |
|                  |                                       | Sub Total                              |                     | -                                  |   |                               |       |
| b)               | Res                                   | ident                                  |                     |                                    |   |                               |       |
|                  |                                       | Total                                  |                     |                                    |   |                               | · · · |
|                  |                                       |  |                     |                                    | -   |                               | .,,   |
| 11.              | Pers                                  | sons employed during the financial yea | r ending            | Mach 31 <sup>®</sup>               |   |                               |       |
|                  | Dire                                  |  |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | rectly                                 |                     |                                    |   |                               |       |
|                  | Tota                                  | al                                     |                     |                                    |   | -                             | •     |
| Signa<br>Officia |                                       | of t <b>h</b> e authorised<br>:        |                     |                                    |   |                               |       |
| Name             | e (in b                               | olock letters) :                       | ·                   | .·<br>                             |   | <br>                          |       |
| Desig            | natio                                 | n :                                    |                     | <del></del>                        |   |                               | -     |
| Place            | :                                     |  |                     | Date:                              |   |                               |       |

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> SWF is a government investment vehicle which is funded by foreign exchange assets and manages overseas assets such as stocks, property or other financial instruments, separately from the official reserves of the monetary authorities.

Please indicate the number of persons recruited by your company during the financial year for which the return is being submitted. Under "Directly', indicate the number of persons on the roll of your company, whereas under "Indirectly", indicate the number of persons otherwise engaged by your company during the year.

#### Form DR

[Refer to paragraph 4(2) of Schedule 1]

# Return to be filed by an Indian Company who has arranged issue of GDR/ADR

Instructions: The form should be completed and submitted to the Reserve Bank of India, Foreign Investment Division, Central Office, Mumbai.

- 1. Name of the Company
- 2. Address of Registered Office
- 3. Address for Correspondence
- 4. Existing Business (please give the NIC Code of the activity in which the company is predominantly engaged)
- 5. Details of the purpose for which GDRs/ADRs have been raised. If funds are deployed for overseas investment, details thereof
- 6. Name and address of the Depository abroad
- 7. Name and address of the Lead/ Manager Investment/Merchant Banker
- 8. Name and address of the Sub-Managers to the issue
- 9. Name and address of the Indian Custodians
- 10. Details of FIPB approval (please quote the relevant NIC Code if the GDRs are being issued under the Automatic Route)
- 11. Whether any overall sectoral cap for foreign investment is applicable. If yes, please give details
- 12. Details of the Equity Capital

Before Issue

After Issue

- (a) Authorised Capital
- (b) Issued and Paid-up Capital
  - (i) Held by persons Resident in India
  - (ii) Held by foreign investors other than FIIs/NRIs/PIOs/ OCBs (a list of foreign investors holding more than 10 percent of the paid-up capital and number of shares held by each of them should be furnished)
  - (iii) Held by NRIs/PIOs/OCBs

- (iv) Held by FIIs
- Total Equity held by non-residents
- (c) Percentage of equity held by nonresidents to total paid-up capital
- 13. Whether issue was on private placement basis. If yes, please give details of the investors and GDRs/ADRs issued to each of them
- 14. Number of GDRs/ADRs issued
- 15. Ratio of GDRs/ADRs to underlying shares
- 16. <u>Issue Related Expenses</u>
  - (a) Fee paid/payable to Merchant Bankers/Lead Manager
    - (i) Amount (in US\$)
    - (ii) Amount as percentage to the total issue
  - (b) Other expenses
- 17. Whether funds are kept abroad. If yes, name and address of the bank
- 18. Details of the listing arrangement

Name of Stock Exchange

Date of commencement of trading

- 19. The date on which GDRs/ADRs issue was launched
- 20. Amount raised (in US \$)
- 21. Amount repatriated (in US \$)

Certified that all the conditions laid down by Government of India and Reserve Bank of India have been complied with.

Sd/-Chartered Accountant Sd/-

Authorised Signatory of the Company

### Form DR - Quarterly

[Refer to paragraph 4(3) of Schedule 1]

## **Quarterly Return**

(to be submitted to the Reserve Bank of India, Foreign Investment Division, Central Office, Mumbai)

- 1. Name of the Company
- 2. Address
- 3. GDR/ADR issue launched on
- 4. Total No. of GDRs/ADRs issued
- 5. Total amount raised
- 6. Total interest earned till end of quarter
- 7. Issue expenses and commission etc.
- 8. Amount repatriated
- 9. Balance kept abroad Details
  - (i) Banks Deposits
  - (ii) Treasury Bills
  - (iii) Others (please specify)
- 10. No. of GDRs/ADRs still outstanding
- 11. Company's share price at the end of the quarter
- 12. GDRs/ADRs price quoted on overseas stock exchange as at the end of the quarter

Certified that the funds raised through GDRs/ADRs have not been invested in stock market or real estate.

Sd/-Chartered Accountant Sd/-

Authorised Signatory of the Company